M-EXCISE

निरीक्षण प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

कार्यालय का नाम	: उत्पाद एवं मद्यनिषेध कार्यालय, मधुबनी
निरीक्षण की तिथि	: 08.07.2002
निरीक्षी पदा0 का नाम	: डा0 बी0 राजेन्दर भा0 प्र0 से0 जिला पदाधिकारी, मधुबनी

डा० बी० राजेन्दर, भा०प्र०से०, समाहर्त्ता, मधुबनी द्वारा दिनांक 08/07/2002 को उत्पाद एवं मद्यनिषेध कार्यालय, मधुबनी का किये गये निरीक्षण से संबंधित अभिलिखित निरीक्षण टिप्पणी।

(1) परिचय :-

उत्पाद एवं मद्यनिषेध कार्यालय, मधुबनी, सदर थाना, मधुबनी के पीछे भौआड़ा की ओर जानेवाले पथ के किनारे पूरब में अवस्थित है। बताया गया कि यह कार्यालय उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग, दरभंगा से 1974में अलग होकर मधुबनी में स्वतंत्र रूप से कार्यरत है। परंतु इस संबंध में सरकारी अधिसूचना प्रस्तुत करने का निर्देश दिये जाने पर बताया गया कि कार्यालय में अधिसूचना उपलब्ध नहीं है। अधीक्षक उत्पाद, मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि सरकारी अधिसूचना मुख्यालय से प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(2) भवन :-

उत्पाद कार्यालय का भवन पी0 डब्लू0 डी0 द्वारा निर्मित है। कार्यालय दो खण्डों में विभक्त हे। एक खण्ड में दो कमरे हैं, जहाँ उत्पाद लिपिक तथा कर्मचारीगण कार्य करते हैं। दूसरे खण्ड में भी दो कमरे हैं, जिसमें से एक अधीक्षक उत्पाद का प्रकोष्ठ है तथा दूसरे में अभिलेख रखा जाता हैं। कार्यालय के भवन की स्थिति काफी जर्जर है। बताया गया कि कार्यालय भवन की मरम्मति हेतु भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखा गया है, जिसके अनुपालन में थोड़ी–बहुत मरम्मति की गयी है, फिर भी अधीक्षक उत्पाद का प्रकोष्ठ एवं अभिलेखगृह की हालत चिन्ताजनक है।

अधीक्षक उत्पाद, मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि कार्यालय भवन की मरम्मति हेतु अधोहस्ताक्षरी की ओर से कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमण्डल; मधुबनी को पत्र लिखा जाय। इस संबंध में पत्र का प्रारूप दो दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उत्पाद कार्यालय, मधुबनी के जर्जर भवन की स्थिति को देखते हुए एक नये भवन की आवश्यकता प्रतीत होती है। इस संबंध में एक प्राक्कलन एवं नक्शा बनाकर अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया जाय ताकि सरकार से भवन निर्माण हेतु राशि की मांग की जा सके।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिसर में बहुत सारी पुरानी गाड़ियाँ जीर्ण–शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई है। इस संबंध में पूछने पर बताया गया कि पूर्व में विभिन्न मामले में इन गाड़ियों को जप्त किया गया था, जिसके संबंध वाद न्यायालय में विचाराधीन है। अधीक्षक उत्पाद, मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि परिसर में जो भी गाड़ी यत्र–तत्र पड़ी हुई है, से संबंधित वादों के बारे में न्यायालय से सम्पर्क स्थापित कर एक प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। प्रधान सहायक के बगल वाले कमरे के सामने एक पुरानी जीप पड़ी हुई है। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि यह गाड़ी विभागीय है एवं वर्ष 1996 से खराब पड़ी हुई है। अधीक्षक उत्पाद को निर्देश दिया जाता है कि जिला परिवहन पदाधिकारी, मधुबनी एवं मोटरयान निरीक्षक से

सम्पर्क कर एवं उन्हें पत्र लिखकर एवं प्रतिवेदन प्राप्त कर इस गाड़ी को नीलाम कर राशि उत्पाद शीर्ष के अन्तर्गत कोषागार में जमा कर उसकी सूचना उत्पाद आयुक्त को भेज दी जाय ताकि नयी गाड़ी प्राप्त की जा सके। यह कार्रवाई आज की तिथि से 15 दिनों के अन्दर पूर्ण करने का निर्देश उत्पाद अधीक्षक को दिया जाता है।

उत्पाद अधीक्षक, मधुवनी के प्रकोष्ठ के सामने दो कमरे का एक भवन है तथा उसके बगल में एसबेस्टस सीट वाला एक शेड है, जिसमें पूर्व से जप्त किया गया मद्य पदार्थ रखा हुआ है एवं महक रहा है तथा पानी चूने से अन्दर रखा हुआ सामान भी खराब हो रहा है। ऐसे अव्यवस्थित ढंग से रखने पर न्यायालय में साक्ष्य के रूप में भी प्रस्तुत करने में कठिनाई होगी। अधीक्षक उत्पाद को निर्देश दिया जाता है कि इन सारे सामानों को सुव्यवस्थित ढ़ंग से रखवाने हेतु नीचे फ्लोरिंग बनाकर एवं रैक बनवाकर सामानों की वर्षवार एवं विषयवार वर्गीकरण कर रखवाना सुनिश्चित करें ताकि न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने में कोई कठिनाई न हो। यह कार्य 15 दिनों के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यालय के निरीक्षण के दौरान विभिन्न कमरों में बहुत सारे कागजात लाल कपड़े में बंधा हुआ पाया गया। यह किस वर्ष का एवं किस विषय से संबंधित है, पूछने पर कुछ भी बताने में असमर्थता प्रकट की गयी, जो चिन्ता का विषय है। अधीक्षक उत्पाद मधुवनी को आदेश दिया जाता है कि अपने सारे अधीनस्थ कर्मचारियों को लगाकर सारे कागजात का वर्षवार एवं विषयवार वर्गीकरण कर अभिलेख हस्तक के नियम के तहत जो कार्य लायक नहीं है, उसके निष्पादन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करें।

इस कार्यालय में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जो आवश्यक प्रतीत होता है। अधीक्षक उत्पाद को निर्देश दिया जाता है कि शौचालय निर्माण हेतु कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमण्डल, मधुबनी को अधोहस्ताक्षरी की ओर से पत्र लिखने हेतु पत्र का प्रारूप प्रस्तुत करें। कार्यालय परिसर में बहुत सी घास उगी हुई है, जिसे साफ करना आवश्यक प्रतीत होता है। इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। कार्यालय परिसर में कुछ नारियल के पेड़ लगे हुए पाये गये। अधीक्षक उत्पाद ने बताया कि उनके कार्यकाल द्वारा ही इसे लगाया गया है।

कार्यालय में बिजली का कनेक्शन है एवं मीटर भी है। अधीक्षक उत्पाद ने बताया कि बिजली बिल के रूप में कुछ राशि भुगतान हेतु बकाया है, जिसे ऑकलन कर विभाग से आवंटन प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।

कार्यालय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि यहाँ दूरभाष की सेवा उपलब्ध नहीं है, जबकि इस मद में सरकार से आवंटन प्राप्त होता है। अधीक्षक उत्पाद, मधुबनी को निदेश दिया जाता है कि अविलम्ब कार्यालय में दूरभाष लगवाना सुनिश्चित करें।

(३) प्रभार :–

श्री कृष्ण पासवान, दिनांक 5/07/1999 से अधीक्षक उत्पाद, मधुबनी के पद पर पदस्थापित हैं। इससे पूर्व श्री नूनू लाल चौधरी, अधीक्षक उत्पाद के रूप में पदस्थापित थे।

इस कार्यालय में अधीक्षक उत्पाद के पद पर निम्नांकित पदाधिकारी उनके नाम के सामने अंकित अवधि के दौरान पदस्थापित रहे हैं :–

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	पदस्थापन की अवधि
1.	श्री भुलटेन राम	30–01–1974 से 19–09–1976 तक
2.	श्री पौल कुमार	19–09–1976से अगस्त 79 तक
3.	श्री मनेन्द्र कुमार (नि0 उ0)	अगस्त, 79 से 10–12–1979 तक
4.	श्री डी0 डी0 मिश्रा	10–12–1979 से 31–08–1980 तक
5.	श्री के0 एन0 सहाय	31–08–1980 से 30–11–1981 तक
6.	श्री पंकज कुमार चक्रवर्ती	30–11–1981 से 30–07–1985 तक
7.	श्री रामचन्द्र पांडेय	30–07–1985 से 30–06–1986 तक
8.	श्री उमेश चन्द्र झा (नि0 उ0)	30–11–1986 से 30–11–1986 तक
9.	श्री विमला नंद झा	30–11–1986 से 31–03–1987 तक
10.	श्री उमेश चन्द्र झा (नि0 उ0)	31–03–1987 से 01–01–1988 तक
11.	श्री प्रभु नारायण राम	01–01–1988 से 31–07–1988 तक
12.	श्री गगनदेव नारायण सिंह	10–08–1988 से 31–01–1989 तक
13.	श्री सदानन्द चौधरी	31–01–1989 से 14–06–1993 तक
14.	श्री महादेव उरॉव	14–06–1993 से 31–01–1995 तक
15.	श्री विश्वनाथ प्रसाद (नि0 उ0)	31–01–1995 से 13–06–1995 तक

16.	श्री राजदेव नारायण जमुआर	13–06–1995 से 31–12–1997 तक
17.	श्री कृष्ण नंदन सिंह (नि0 उ0)	31–12–1997 से 02–01–1998 तक
18.	श्री नूनू लाल चौधरी	02–01–1998 से 05–07–1999 तक
19.	श्री कृष्ण पासवान	05–07–1999 से

अधीक्षक उत्पाद, मधुबनी के कार्यालय प्रकोष्ठ में पदाधिकारियों के पदस्थापन सूची का बोर्ड नीचे रखा हुआ है, जिसे अविलम्ब ऊपर टंगवाने का निर्देश दिया गया।

(4) स्थापना :–

इस कार्यालयमें पदस्थापित पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के स्वीकृत बल के विरूद्ध कार्यरत बल की स्थिति निम्नवत है :–

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	अधीक्षक उत्पाद	1	1	X	
2.	निरीक्षक उत्पाद	2	1	1	
3.	अवर निरीक्षक उत्पाद (जिला कार्य)	6	6	X	
4.	अवर निरीक्षक उत्पाद (विशेष कार्य)	1	1	X	
5.	सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद (जिला कार्य)	5	3	2	
6.	सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद (विशेष कार्य)	1	1	X	
7.	उत्पाद सिपाही (जिला कार्य)	20	20	X	
8.	उत्पाद सिपाही (विशेष कार्य)	10	2	8	
9.	वरीय प्रवर कोटि सहायक	1	र	1	
10.	कनीय प्रवर कोटि सहायक	1	र	1	
11.	उत्पाद लिपिक	3	3	X	
12.	भान चालक	1	1	X	

13.	उत्पाद दफ्तरी	1	1	X	

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निरीक्षक उत्पाद का एक पद, सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद (जिला कार्य) का दो पद, उत्पाद सिपाही (विशेष कार्य) का आठ पद, वरीय प्रवर कोटि सहायक का एक पद, एवं कनीय प्रवर कोटि सहायक का एक पद रिक्त है। अधीक्षक उत्पाद, मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि रिक्त पदों पर पदस्थापन करने हेतु उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना को भेजे जाने वाले पत्र का प्रारूप अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें।

इस कार्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों / कर्मचारियों के संबंध में विस्तृत विवरण निम्नवत है :–

क्रमांक	कर्मचारी का नाम एवं पिता का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	जन्म तिथि	सेवा निवृत्ति की तिथि	गृह पता	मधुबनी जिले में योगदान की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री कृष्ण पासवान, पे0–स्व0 शोभी पासवान	अधीक्षक उत्पाद	28.03.89	10.02.64	28.02.2022	ग्राम–सरेवाद, पो0 अगहरा, थाना–सोनो, जिला–मुंगेर (अब–जमूई)	05.07.1999
2.	श्री विश्वनाथ प्रसाद शर्मा, स्व0–रामलगन शर्मा	नरीक्षक उत्पाद	07.04.90	18.07.45	31.07.2003	ग्राम–मुरादपुर, पो0–करौटा, खुशरूपुर, जिला–पटना	15.07.2000
3.	श्री विनय कुमार श्रीवास्तव स्व0 जगदीश चन्द्र प्र0 श्रीवास्तव	उत्पाद लिपिक	16.01.78	31.07.53	31.07.2011	ग्राम–हीरापट्टी, पो0+थाना–बेनीपट्टी जिला–मधुबनी	01.05.1998
4.	श्री वृजनन्दन प्रसाद, स्व0 बालदेव मिस्त्री	उत्पाद लिपिक	07.07.81	20.05.55	31.05.2013	ग्राम–बनवारीपुर, पो0+थाना–हिलसा, जिला–नालंदा	06.04.1995
5.	श्री रामप्रीति कुमार, स्व0 अयोध्या प्र0 सिंह	उत्पाद लिपिक	20.08.87	15.12.67	31.12.2025	गुरू सहाय लाल नगर, उत्तरी पटेलनगर, थाना–पाटलीपुत्रकॉलोनी, पटना	16.04.1995
6.	श्री शिवनाथ पोद्दार श्री महावीर प्रसाद	चालक	11.11.76	21.06.53	30.06.2011	ग्राम–वेकापुर पो0–थाना–मुंगेर, जिला–मुंगेर	19.06.1996

7.	श्री उपेन्द्र चौधरी स्व0 माधुरी चौधरी	उत्पाद दफ्तरी	19.04.76	02.05.53	31.05.2011	ग्राम–चकदह, थाना–राजनगर, जिला–मधुबनी।	
8.	मो0 मुस्ताक खॉ, स्व0 मुख्तार अहमद खॉ	अवर निरीक्षक उत्पाद	15.09.79	22.6.54	30.06.2013	ग्राम+पो0–काकेला, जिला–भोजपुर	02.02.1999
9.	श्री जगत लाल	अवर निरीक्षक उत्पाद	01.11.83			ग्राम–गॉधी नगर, पो0 दीघा, थाना–दानापुर, जिला–पटना	24.07.2000
10.	श्री सुमन कुमार सिंह स्व0 श्यामदेव महतो	अवर निरीक्षक उत्पाद	31.7.90	12.11.67	30.11.2025	ग्राम+पो0–तिलकपुर, थाना–सुलतानगंज, जिला–भागलपुर	16.12.98
11.	श्री अनिल कुमार सिन्हा पे0 श्री टूका सिन्हा	अवर निरीक्षक उत्पाद	13.06.80	15.10.54	31.10.2012	ग्राम–सरैया, पो0–मरांली, थाना–पुनपुन, जिला–पटना	03.07.2000
12.	श्री राजकिशोर प्र0 सिंह पे0–श्री कमल प्र0 सिंह	अवर निरीक्षक उत्पाद	15.11.91	04.01.64	21.01.2022	जुरन छपरा रोड, नं0–4 पो0–एम0 आई0 टी0, थाना–सदर, जिला–मुजफ्फरपुर।	13.10.2000
13.	श्री अजय शंकर सहाय, पे0–श्रीविमला नंद प्रसाद	अवर निरीक्षक उत्पाद	25.11.91	23.04.63	30.04.2021	ग्राम–पातेपुर, गोपीनाथ, पो0–दीघरा, थाना–पुसा, जिला–समस्तीपुर	13.09.2000
14.	श्री राम सुभग गिरी पे0–श्री शिवकुमार गिरि	अवर निरीक्षक उत्पाद	02.11.83	05.07.50	31.07.2008	ग्राम–किरकिरी पो0–मिलहर, थाना–सहार, जिला–भोजपुर	05.04.2002
15.	श्री रामनरेश महतो स्व0 रामस्वार्थ महतो	सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद	4.4.96	01.01.64	31.12.2022	ग्राम+पो0–कुम्भी, थाना–चिड़िया, बरियारपुर, जिला–बेगुसराय	01.07.2000

16.	श्री सच्चिदानन्द सिंह पे0–श्री जुगेश्वर सिंह	सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद	28.05.71	20.07.50	31.07.2008	ग्राम–कोयलाकुण्ड, पो0–हायाघाट, थाना–कल्याणपुर	01.07.2000
17.	श्री प्रकाश कुमार, स्व0 सूर्य किशोर मल्लिक	सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद	01.07.94	13.07.71	31.07.2029	ग्राम+पो0–हरिपुरडीहटोल, थाना–कलुआही, जिला–मधुबनी	17.1.1997
18.	श्री शिव नारायण प्रसाद पे0 विशुनधारी प्रसाद	सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद	20.04.79	02.01.50	31.01.2008	ग्राम–सखीपालकी, पो0–गुरारूमोल, थाना–वियोम, जिला–गया	01.08.2000
19.	शीला देवी पति–स्व0 अरूण कांत मिश्र	उत्पाद सिपाही	11.07.90	16.01.62	31.01.2000	ग्राम+पो0–हरिपुरडीहटोल, थाना–खजौली, जिला–मधुबनी	09.10.1991
20.	श्री राजेश मिश्र	उत्पाद सिपाही	07.04.80				10.09.2001
21.	श्री सैयद अहमद हुसैन, पे0 श्री नाजीर हुसैन	उत्पाद सिपाही	01.02.80	07.01.54	31.01.2012	ग्राम–चन्दनपट्टी, थाना–सदर, पो0–मझौलिया, दरभंगा	08.01.2001
22.	श्री नवल किशोर सिंह पे0–संतु सिंह	उत्पाद सिपाही	13.12.69	17.10.46	31.10.2004	ग्राम–छपड़ा, पो0 कलवारी, थाना–कांटी, मुजफ्फरपुर	01.12.1998
23.	श्री मामुन रसीद	उत्पाद सिपाही	22.08.74			ग्राम–मुरैठ, पो0–नरही मुरैठ, थाना–बेनीपट्टी	25.01.2001
24.	श्री अफताब आलम मो0 हफीज	उत्पाद सिपाही	27.05.80.	21.07.60	31.07.2018	मो0–खाजा सराय,, पो0+थाना–लहेरियासराय, जिला–दरभंगा	11.01.1999
25.	श्री गगनदेव सिंह पे0–रामसेवक सिंह	उत्पाद सिपाही	06.07.88	05.11.60	30.11.2018	ग्राम–रामपुर, पटोरी, पो0–बनचौरी, जिला–सीतामढ़ी	27.01.1999
26.	श्री उमानाथ प्रसाद पे0–सुखदेव प्रसाद	उत्पाद सिपाही	22.12.73	08.03.52	31.03.2010	ग्राम–लदौरापकरी, थाना–कुढ़नी, जिला–मुजफ्फरपुर	01.01.1999

27.	श्री गंगानाथ मिश्र पे0 री मार्कंडेय मिश्र	उत्पाद सिपाही	10.07.80	08.05.58	31.05.2016	ग्राम+पो0–नाहस रूपौली, जिला–मधुबनी	12.07.2001
28.	श्री सुधाकर झा	उत्पाद सिपाही	07.04.80	21.01.57	31.01.2015	ग्राम–भरतपुर, पो0–छतवन, थाना–केवटी, जिला–दरभंगा	20.01.199
29.	श्री प्रभात कुमार सिंह	उत्पाद सिपाही	03.06.80			ग्राम–ब्रहमौल, पो0–सिरसी नानपुर, थाना–नानपुर, जिला–सीतामढ़ी	03.10.2001
30.	मो0 आलमगिर खॉ पे0–अशरफ अली खॉ	उत्पाद सिपाही	19.01.75	10.12.52	31.12.2010	ग्राम–पो0 बेजरिया, पो0–मोतीहारी, थाना–मोतीहारी, जिला–मोतीहारी	26.07.2000
31.	श्री रामपदारथ साह	उत्पाद सिपाही					08.08.2001
32.	श्री रामशरण कामती पे0–गोधरी कामती	उत्पाद सिपाही	18.10.66	01.02.47	28.02.2005	ग्राम–ठाकुरवाड़ी चौक, भट्ठा बाजार, जिला–पूर्णिया	26.07.2000
33.	श्री ठाकुर पुरूषोत्तम सिंह पे0–श्री कौलेश्वर सिंह	उत्पाद सिपाही	05.05.80	25.07.61	31.07.2019	ग्राम–चांदी, पो0–जरही, चांदी, थाना–कोईलवर, जिला–भोजपुर	01.08.2000
34.	श्री किशारी पासवान पे0–तिलक पासवान	उत्पाद सिपाही	05.01.76	13.01.54	31.01.2012	ग्राम–पिण्डारूछ, थाना–केवटी, पो0–पिण्डारूछ, जिला–दरभंगा	23.11.2000
35.	श्री पुरन राम	उत्पाद सिपाही	28.04.74				08.02.2001
36.	श्री धीरेन्द्र प्र0 पांडेय	उत्पाद सिपाही	14.12.76				06.08.2001
37.	श्री मो0 कलीमउद्दीन खॉ पे0–मो0 जैनुद्दीन खॉ	उत्पाद सिपाही	28.02.80	02.02.60	28.02.2018	ग्राम–कखला, जगदीशपुर, जिला–भोजपुर	02.07.1999
38.	श्री कुदरत बैठा	उत्पाद सिपाही	28.06.80			ग्राम–कुसुमपुर बकरी, पो0–रीगा, जिला–सीतामढ़ी	07.02.2002
39.	श्री परमानन्द महतो	उत्पाद सिपाही					

40.	श्री देवचन्द्र झा (सेवा निवृत)	उत्पाद सिपाही	16.05.71			ग्राम–मछैटा,पो0–वारसौन नदियानी, थाना– मनीगाछी, दरभंगा	14.07.2000

बताया गया कि श्री परमानन्द महतो, उत्पाद सिपाही, जून, 1996 से ही लापता हैं। इस संबंध में कार्यालय पत्रांक–170, दिनांक 10.03.2000 द्वारा उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना को प्रतिवेदित किया गया है। इसके अतिरिक्त दैनिक अखबार में भी श्री महतो के संबंध सूचना प्रकाशित की गयी है। अधीक्षक उत्पाद, मधुबनी को आदेश दिया जाता है कि श्री महतो के गृह पता पर निबंधित डाक से पुनः पत्र लिखा जाय, जिसमें यह उल्लेख किया जाय कि चूंकि श्री महतो 7 (सात) वर्षों से अधिक की अवधि से अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित हैं, अतएव बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के आलोक में उन्हें सेवा से वंचित करने हेतु उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना को प्रतिवेदित कर दिया जाएगा।

(5) पूर्व निरीक्षण :–

इस कार्यालय का निरीक्षण पूर्व में निम्नांकित निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा उनके नाम के सामने अंकित तिथियों में किया गया है:–

क्रमांक	निरीक्षी पदाधिकारी का नाम/पदनाम	निरीक्षण की तिथि	अनुपालन की तिथि
1	उपायुक्त उत्पाद, दरभंगा प्रमंडल	27.12.80	
2.	श्री केदार नाथ सहाय, अधीक्षक उत्पाद, मधुबनी	27.07.81	
3.	श्री रामानंद प्रसाद, उपायुक्त उत्पाद, दरभंगा सह कोशी प्रमंडल	20.03.83	
4.	श्री जयचन्द्र मिश्र, संयुक्त आयुक्त, बिहार, पटना	30.11.83	
5.	श्री रामानंद प्रसाद, उपायुक्त उत्पाद, दरभंगा सह कोशी प्रमंडल	19.01.84	
6.	श्री रामानंद प्रसाद, उपायुक्त उत्पाद, दरभंगा सह कोशी प्रमंडल	13.03.85	
7.	श्री निरंजन प्रसाद श्रीवास्तव, उपायुक्त उत्पाद, ई0 आई0 बी0, बिहार, पटना	22.09.94	
8	श्री संतोष कुमार जमुआड़, उपायुक्त उत्पाद, दरभंगा सह कोशी प्रमंडल	28.06.95	
9.	श्री संतोष कुमार जमुआड़, उपायुक्त उत्पाद, दरभंगा सह कोशी सह पूर्णिया प्रमंडल	29.11.96	
10.	श्री कृष्ण पासवान, अधीक्षक उत्पाद, मधुबनी	01.04.2002	

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वर्ष 1980 से लगातार विभिन्न निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा इस कार्यालय का निरीक्षण किया गया है, परंतु प्रत्येक निरीक्षी पदाधिकारियों के लिए अलग–अलग रक्षी संचिका (गार्ड फाईल) संधारित नहीं की गयी है, जो खेद का विषय है। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि सभी निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा इस कार्यालय के किये गये निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी अलग–अलग संचिकाओं में रखी गई है, जो उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त आंकड़ों में यह भी नही दर्शाया गया है कि उक्त पदाधिकारियों द्वारा इस कार्यालय के किये गये निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी कब प्राप्त हुई एवं उसका अनुपालन कब किया गया। वर्तमान अधीक्षक उत्पाद मधुबनी इस कार्यालय में वर्ष 1999 से ही पदस्थापित हैं, परंतु उनके द्वारा तीन माह पूर्व ही इस कार्यालय का निरीक्षण किया गया है, जो गंभीर विषय है। बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम–52 एवं 80 के अनुसार प्रत्येक नियंत्री पदाधिकारी को अपने कार्यालय का वर्ष में दो बार विस्तृत निरीक्षण करने का प्रावधान है। अधीक्षक उत्पाद, मधुबनी भविष्य में इसे सुनिश्चित करेंगें। इस नियमावली के नियम 60 के अनुसार निरीक्षी पदाधिकारियों के लिए अलग–अलग रक्षी संचिका संधारित की जानी है, जिसमें अनुक्रमणी लगी होगी। निरीक्षण टिप्पणी का अनुपालन प्रतिवेदन भी संबंधित निरीक्षी पदाधिकारियों के लिए संधारित रक्षी संचिका में चिपकाया जाना चाहिए। साधारणतः निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति के एक माह के अंदर अनुपालन किया जाना है। यदि अंतिम अनुपालन संभव नहीं हो तो अंतरिम अनुपालन प्रतिवेदन निश्चित रूप से भेजा जाना चाहिए। जिन विन्दुओं का अंतिम अनुपालन नहीं होता है उन विन्दुओं पर तब तक कार्रवाई करनी चाहिए जब तक उसका अनुपालन पूर्णरूपेन नहीं हो जाता है। अनुपालन प्रतिवेदन समय पर भेजने की जिम्मेवारी प्रधान सहायक की होती है। अधीक्षक उत्पाद मधुबनी को आदेश दिया जाता है कि भविष्य में निरीक्षण टिप्पणी का अनुपालन विशेष ध्यान देकर सुनिश्चित करायें। अधीक्षक उत्पाद, मधुबनी को यह भी आदेश दिया जाता है कि पूर्व में किये गये सभी निरीक्षी पदाधिकारियों का निरीक्षण टिप्पणी का अध्ययन कर एवं सभी निरीक्षी पदाधिकारियों का निरीक्षण टिप्पणी को अलग–अलग रक्षी संचिका में संधारित करना सुनिश्चित करें तथा अनुक्रमणिका तैयार कर निरीक्षण टिप्पणी का अनुपालन प्रतिवेदन भी उसी में चिपकाना सुनिश्चित करे।

(6) पत्राचार :–

विगत तीन वर्षो में प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	प्राप्त पत्रों की संख्या	निर्गत पत्रों की संख्या
1	2000–2001	–	947
2.	2001–2002	272	1225
3.	2002–2003 (30.06.02 तक)	26	647

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इस कार्यालय में प्राप्त एवं निर्गत पत्रों के लिये पंजी सही ढ़ंग से संधारित नहीं की गई है। एक मोटी पंजी में सारे वर्षो का प्राप्त एवं निर्गत पत्रों को अव्यवस्थित रूप से लिखा गया है, जो बहुत ही गम्भीर विषय है। बिहार अभिलेख हस्तक नियम–8 खण्ड 1 एवं 2 के अनुसार पत्राचार के लिए प्राप्त एवं निर्गत पत्रों के लिए अलग–अलग विहित प्रपत्र में पंजी संधारित की जानी है, जो नहीं की गयी है। पंजी के सभी स्तम्भ को भरा भी नहीं गया है। पत्र कहां रखा गया। पत्र पर क्या कार्रवाई की गई। कुछ भी नहीं लिखा गया है। अधीक्षक उत्पाद, मधुबनी को आदेश दिया जाता है कि अपने कार्यालय के प्रधान सहायक/सहयको को स्थापना उपसमाहर्त्ता, मधुबनी एवं कार्यालय अधीक्षक, मधुबनी समाहरणालय से सम्पर्क स्थापित कर पंजी संधारण के संबंध में प्रशिक्षण दिलवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करें। पत्राचार कार्यालय का हृदय होता है एवं पूरे कार्यालय का नियंत्रण भी पत्र से ही होता है। दुर्भाग्यवश यह प्रथा इस कार्यालय में नहीं है और न ही किसी पदाधिकारी द्वारा इस ओर ध्यान ही दिया गया हैं। पंजी अवलोकन से यह भी ज्ञात हुआ कि कार्यालय में संधारित सभी पंजियों में पृष्ठों का सत्यापन सबसे अंतिम पृष्ठ पर किया गया है, जो उचित परम्परा नहीं है। पंजी के प्रथम पृष्ठ पर ही पृष्ठों का सत्यापन किया जाना चाहिए। प्रधान सहायक इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

(7) अनुक्रमणी पंजी :–

इस कार्यालय में अनुक्रमणी पंजी संधारित नहीं की जाती ही हैं। कुल कितने विषयों पर संचिकाऐं इस कार्यालय में खोली गई है, यह बताने में प्रधान सहायक असमर्थ थे। अधीक्षक उत्पाद को आदेश दिया जाता है कि उनके कार्यालय में जितने विषयों पर संचिकायें संधारित की जा रही है, उन संचिकाओं के ऊपर संचिका संचयन संख्या दिलवाना सुनिश्चित करें एवं अनुक्रमणिका कर्णाकित कर संचिका संचालन कराना सुनिश्चित करें। इस संबंध में यह भी निर्देश दिया जाता है कि प्रधान सहायक/सहायक, जिला स्थापना शाखा, मधुबनी के प्रधान सहायक से सम्पर्क स्थापित कर अनुक्रमणी पंजी संधारण के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त कर तदनुकूल कार्रवाई सुनिश्चित करे। बिना अनुक्रमणी के कोई कार्यालय नहीं चलता है। प्रधान सहायक को मालूम होना चाहिए कि कुल कितने विषयों पर कितनी संचिकायें खोली गई है।

(8) संचिका गति पंजी :–

इस कार्यालय में संचिका गति पंजी का संधारण नहीं किया जाता है। प्रधान सहायक को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक दिन जितनी सचिकायें उपस्थापित की जाती है, उसके संबंध में एक पंजी संधारित की जाय। जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि पत्र कहां से प्राप्त हुआ, उसका पत्रांक/दिनांक क्या है, विषय क्या है, उस पर क्या कार्रवाई की गयी आदि। इस संबंध में प्रधान सहायक अपने सहायकों के साथ जिला स्थापना शाखा के प्रधान सहायक से सम्पर्क स्थापित कर प्रशिक्षण प्राप्त करें।

(9) चपरासी वही :-

चपरासी वही विहित प्रपत्र में संधारित नहीं किया गया है। इसे दो खंड में संधारित किया जाय। एक स्थानीय एवं एक बाहरी कार्यालय के लिए। प्रधान सहायक अनुपालन सुनिश्चित करें।

(10) उपस्थिति पंजी :-

उपस्थिति पंजी का अवलोकन किया। यह विहित प्रपत्र में संधारित है, परंतु कार्यरत कर्मचारियों के नाम के पूर्व क्रमांक नहीं दिया गया है। प्रधान सहायक इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण देते हुए सभी कर्मियों के नाम के पूर्व क्रमांक देना सुनिश्चित करें।

(11) आकस्मिक अवकाश पंजी (पंजी-69) :-

एक सादी पंजी में यह संधारित किया गया है, जो उचित नहीं है। इसे विहित प्रपत्र में संधारित करने का निर्देश दिया जाता है। इस संबंध में प्रधान सहायक, उत्पाद जिला स्थापना शाखा, मधुबनी के प्रधान सहायक से सम्पर्क स्थापित कर पंजी का संधारण सुनिश्चित करें।

(12) सेवापुस्त :-

इस कार्यालय में पदस्थापित कुल पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या 40 है, जिसमें से मात्र 28 (अठाईस) कर्मियों का सेवापुस्त उपलब्ध कराया गया। बताया गया कि उत्पाद सिपाही श्री राजेश मिश्र, श्री रामपदारथ साह, श्री पुरन राम, श्री धीरेन्द्र प्रसाद पांडेय एवं श्री परमानंद महतो का सेवापुस्त उनके पूर्व पदस्थापन कार्यालय से उपलब्ध नहीं कराया गया है। अधीक्षक उत्पाद, मधुबनी को आदेश दिया जाता है कि जिन कर्मियों का सेवापुस्त उपलब्ध नहीं है, उनके पूर्व पदस्थापन कार्यालय से मंगवाने हेतु अर्द्धसरकारी पत्र द्वारा स्मारित करें। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मियों की सेवापुस्त सचिवालय में प्रोन्नति हेतु भेजी गयी है। निरीक्षण के क्रम में श्री विश्वनाथ प्रसाद शर्मा, उत्पाद निरीक्षक के सेवापुस्त का अवलोकन किया। इनका सेवापुस्त 31.03.2002 तक सत्यापित है। परंतु अवकाश लेखा विवरणी विल्कुल सादा है। इसमें कोई प्रविष्टि नहीं की गयी है, जो आश्चर्य जनक प्रतीत होता है। इनके सेवापुस्त में वेतन वृद्धि की तिथि भी अंकित नहीं है। क्या श्री शर्मा द्वारा कभी-भी अवकाश नहीं लिया गया ? अधीक्षक उत्पाद स्पष्ट करें। इसी प्रकार श्री रामप्रीति कुमार, उत्पाद लिपिक के सेवापुस्त का अवलोकन किया। इनकी सेवापुस्त दिनांक 31.03.2002 तक सत्यापित है। अवकाश लेखा विवरणी में दिनांक 19.02.97 तक प्रविष्टि की गई है। दिनांक 20.02.97 से 18.05.97 तक कुल 88 दिनों का अजिंत अवकाश अंकित है, जिसकी प्रविष्टि इनके सेवापुस्त में की गई है, परंतु अवकाश लेखा अद्यतन नहीं किया गया है। इसी प्रकार ठाकुर पुरूषोत्तम कुमार सिंह, उत्पाद सिपाही के सेवा पुस्त का अवलोकन किया गया। इनकी सेवापुस्त 31.03.2002 तक सत्यापित है। अवकाश लेखा संलग्न है, परंतु अवकाश संबंधी एक भी प्रविष्टि प्रपत्र में अंकित नहीं की गई है, जिसके फलस्वरूप यह

पता नहीं चल रहा है कि इस कर्मचारी का कितने दिनों का अवकाश इनकी सेवा अवधि में अब तक संचित है और कितने दिनों के अवकाश का उपभोग इनके द्वारा किया गया है। सेवा पुस्त में भी अवकाश उपभोग किये जाने के बारे में अंकित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों के सेवापुस्त का निरीक्षण किया गया। स्थिति प्रायः एक जैसी है। ऐसा प्रतीत होता है कि अधीक्षक उत्पाद में बिना किसी छानबीन किये मुहर बनाकर यांत्रिक रूप से हस्ताक्षर मात्र कर अपने कर्त्तव्यों की इतिश्री समझ लिया है, जो बहुत ही गम्भीर विषय है। सेवापुस्त के सत्यापन करते समय न तो सभी स्तम्भों को भरा गया है और न ही अवकाश लेखा का संधारण किया गया है। नियमानुसार सभी नियंत्री पदाधिकारी को वर्ष में दो बार सेवापुस्तिका का सत्यापन करना है। सेवापुस्तिका के सत्यापन के समय यह देखना आवश्यक है कि (1) सेवा निरंतर है अथवा नहीं (2) सेवा में कोई टूट तो नहीं है। (3) वेतन वृद्धि समय पर दी गई अथवा नहीं। (4) अवकाश लेखा विवरणी अर्थात् कितने दिन उपार्जित अवकाश देय है, कितने दिन उपभोग किया जा चुका है। (5) वेतन निर्धारण पर्ची गयी है अथवा नहीं। अधीक्षक उत्पाद, मधुबनी को आदेश दिया जाता है कि अपने प्रधान सहायक/सहायक को जिला स्थापना के प्रधान सहायक एवं कार्यालय अधीक्षक, समाहरणालय मधुबनी से सम्पर्क स्थापित कर सेवापुस्त संधारण के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। साथ ही वैसे सरकारी सेवक जिनका सेवापुस्त दो खंडो में संधारित है, उसे भी सत्यापित कर द्वितीय खंड के सेवापुस्त के उपर में संबंधित सरकारी सेवक का नाम आदि भी अंकित कराना सुनिश्चित करें। अधीक्षक उत्पाद, मधुबनी को यह भी आदेश दिया जाता है कि सभी सेवापुस्तों की जांच कर उपर्युक्त दिये गये निर्देश का अनुपालन एक सप्ताह के अंदर करके प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें।

(13) भविष्य निधि पासबुक :-

इस कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि पासबुक संधारित नहीं की जाती है, जो बहुत ही गम्भीर विषय है, अधीक्षक उत्पाद, मधुबनी द्वारा बताया गया कि आवश्यकतानुसार वेतन भरपाई पंजी से ही। सूचनायें उतार कर भेज दी जाती है। यह तरीका विल्कुल ही गलत है। सभी कार्यरत कर्मचारियों का भविष्य निधि पासबुक कार्यालय में संधारित होना चाहिए। अधीक्षक उत्पाद को आदेश दिया जाता है कि इस हेतु विहित प्रपत्र में मुद्रित पासबुक में सभी कार्यरत कर्मचारियों का भविष्यनिधि मद में की गई कटौती विवरणी का इन्द्राज कराना सुनिश्चित करें। साथ ही यदि किसी कर्मचारी द्वारा भविष्य निधि से अग्रिम ली जाती है तो उसका भी उल्लेख उक्त पासबुक में किया जाए। यह कार्यालय वर्ष 1974 से स्वतंत्र रूप से कार्यरत है, परंतु कार्यालय की कार्यशैली बहुत ही अजीब है। इसमें कार्यरत प्रधान सहायक/सहायक भी काफी दिनों से इस कार्यालय में कार्यरत है, परंतु जानकारी के अभाव इनके द्वारा पंजियाँ ढ़ंग से संधारित नहीं की जा रही है। अधीक्षक उत्पाद को आदेश दिया जाता है कि सभी कार्यरत कर्मचारियों का भविष्य निधि पासबुक एक सप्ताह के अंदर खोलकर एवं अद्यतन इन्द्राज कर अनुपालन प्रतिवेदन अद्योहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करें।

निरीक्षण के क्रम में अधीक्षक उत्पाद को बताया गया कि जिला भविष्य निधि कार्यालय, मधुबनी द्वारा भविष्य निधि की कटौती विवरणी अद्यतन कर उसका एकाउन्टस स्लीप देने का अभियान चलाया जा रहा है। अतः सभी कर्मियों की कटौती विवरणी स्त्यापित कर जिला भविष्य निधि कार्यालय, मधुबनी में एक सप्ताह के अंदर भेजना सुनिश्चित करें। बताया गया कि 29 (उन्तीस) सरकारी सेवकों का भविष्य निधि कटौती विवरणी अलग–अलग पत्रों के माध्यम से जिला भविष्य निधि कार्यालय, मधुबनी को भेजा गया है। अधीक्षक उत्पाद को निर्देश दिया जाता है कि शेष कर्मचारियों का भविष्य निधि कटौती विवरणी अविलम्ब एक सप्ताह के अंदर भेजते हुए अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को भेजे। इसके अतिरिक्त ऐसे सरकारी सेवक, जिनका पदस्थापन अन्य जिलों में था, उन्हें उक्त जिलों में प्रतिनियुक्ति कर कटौती विवरणी मंगवाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(14) रोकड़ बही :–

बिहार कोषागार संहिता के नियम–86 कंडिका–1 के अनुसार सामान्य रोकड़ वही का संधारण टी0 सी0 फार्म–6 में किया गया है एवं दिनांक 07.07.2002 तक अधीक्षक उत्पाद द्वारा सत्यापित है। रोकड़ बही के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 07.07.2000 तक इसमें अन्तशेष के रूप में 40,651/– रूपया है। बताया गया कि यह राशि श्री कृष्णानंद मोची, सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद के भविष्य निधि से अंतिम निकासी की राशि है, जिसे भारतीय स्टेट बैंक के चालू खाता संख्या–010500216 में विपत्र संख्या 13/2002–2003 द्वारा जमा किया जा चुका है। अधीक्षक उत्पाद ने बताया कि श्री मोची को कार्यालय पत्रांक 656 दिनांक 04.07.2002 द्वारा भुगतेय राशि प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया है, परंतु उनके नहीं आने के कारण यह राशि बैंक में जमा है। अधीक्षक उत्पाद को आदेश दिया जाता है कि श्री मोची को पुनः भुगतेय राशि प्राप्त करने हेतु स्मारित करें। बताया गया कि इस कार्यालय में सामान्य रोकड़बही के अलावा अलग–अलग सहायक रोकड़ वही संधारित नहीं है। वेतन मद की राशि शीर्ष 2039 में एवं सरकारी कोष की राशि 0039 शीर्ष में जमा की जाती है।

(15) पेंशन :–

इस कार्यालय में अब तक सेवानिवृत हुए पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुची निम्न प्रकार के है, जिन्हें सेवानिवृत या मृत्यु के उपरांत मिलने वाले सभी लाभों का भुगतान किया जा चुका है :–

क्रमांक	सेवानिवृत्त पदाधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	सेवनिवृत्त की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री दयानाथ मिश्र	सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद	31.01.93	
2.	श्री कृष्णानंद मोची	सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद	30.04.94	

3.	श्री राजेश नारायण जमुआड़	अधीक्षक उत्पाद	31.12.97	
4.	श्री महादेव उराँव	अधीक्षक उत्पाद	31.01.95	
5.	श्री कुलदीप लाल दास	उत्पाद लिपिक	30.11.94	
6.	श्री जीवछ ठाकुर	उत्पाद लिपिक	31.03.02	
7.	श्री तारकेशव प्रसाद	उत्पाद सिपाही	30.09.85	
3.	श्री कमला कांत झा	उत्पाद सिपाही	31.01.86	
9.	श्री फुलेश्वर सिंह	उत्पाद सिपाही	15.11.92	
10.	श्री श्याम किशोर मिश्र	उत्पाद लिपिक	16.02.95	
11.	श्री सियाराम महतो	अवर निरीक्षक उत्पाद	31.07.97	
12.	श्री हरिवंश सिंह	उत्पाद सिपाही	30.04.95	
13.	श्री तिलकेश्वर झा	उत्पाद सिपाही	31.08.96	
14.	श्री रामश्रेष्ठ सिंह	उत्पाद सिपाही	31.03.97	
15.	श्री राजा बहादुर सिंह	उत्पाद सिपाही	28.02.98	
16.	श्री रेवती नाथ झा	उत्पाद सिपाही	31.01.99	
17.	श्री शिवनरेश राम	उत्पाद सिपाही	28.02.99	
18.	श्री हेम चन्द्र झा	उत्पाद सिपाही	01.03.99	
19.	श्री रेयास्त हुसैन	उत्पाद सिपाही	30.06.99	
20.	श्री अशर्फी पासवान	उत्पाद सिपाही	31.01.01	
21.	श्री शिवनाथ झा	उत्पाद सिपाही	30.06.01	

(16) त्रुटि पंजी :–

यह पंजी संधारित की गई है परंतु जीर्ण–शीर्ण स्थिति में है। इस पंजी का संधारण वर्ष 1989–90 में दिनांक 18.09.89 **तक ही** किया गया है। त्रुटिपंजी का मुख्य उद्देश्य यह है कि निरीक्षण के दौरान कार्यालय की व्यवस्था में जो त्रुटि आदि पाई जाती है, उसका उल्लेख **इस पंजी में**

अंकित करना है। दुर्भाग्यवश यह एक औपचारिकता ही रह गई है। उदाहरणस्वरूप उपायुक्त, उत्पाद, दरभंगा द्वारा दिनांक 29.11.96 से 30.11.96 तक इस कार्यालय का निरीक्षण के दौरान त्रुटि पंजी में स्पष्ट रूप से त्रुटियों का उल्लेख किया गया है। साथ ही उस निरीक्षण टिप्पणी के कंडिका–2 कॉलम 4 में वर्तमान स्थिति जो लिखा हुआ, त्रुटि योग्य बनी हुई है, वह अभी तक ज्यों की त्यों बनी हुई है, जो चिन्ताजनक है। अधीक्षक उत्पाद, मधुवनी को आदेश दिया जाता है कि इस पर ध्यान दें, एवं सारी त्रुटियों का त्रुटिमार्जन कर अनुपालन सुनिश्चित करे एवं प्रत्येक माह इसकी समीक्षा भी करें।

(17) अंकेक्षण :–

अंकेक्षण से संबंधित मामले के लिए एक पंजी वर्ष 81 से इस कार्यालय में संधारित की गई है, जिसमें उठायी गयी आपत्तियों को दर्ज किया जाता है। प्रत्येक वर्ष के लिए अलग–अलग संचिका संधारित की गई है। बताया गया कि इस कार्यालय का महालेखाकार, रॉंची द्वारा वर्ष 1980 अंकेक्षण किया गया है, जिसमें अंकेक्षण से संबंधित आपत्तियों देखा, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	अंकेक्षण संख्या	अंकेक्षण वर्ष	आपत्ति कंडिका	अनुपालन का सारांश
1	2	3	4	5
1.	546/80–81	79–80	1 से 2	कंडिका–1 में उठाई गई आपत्ति का निष्पादन कर दिया गया है। कंडिका–2 में दर्शायी गई राशि को राईट ऑफ के लिए लिखा गया है। आपत्ति यथावत है।
2.	427/81–82	80–81	1 से 6	कंडिका–35 एवं 6 निष्पादित शीर्ष कंडिकाओं का उत्तर भेजा जा चुका है। आपत्ति बनी हुई है।
3.	471/82–83	81–82	1 से 7	सभी कंडिकाओं का उत्तर भेजा गया है। आपत्ति बनी हुई है।
4.	746/83–84	82–83	1 से 5	कंडिका–3 एव 5 निष्पादित। शेष कंडिकाओं का उत्तर भेजा गया है। आपत्ति बनी हुई है।
5.	541/84–85	83–84	1 से 4	कंडिका संख्या–1 एवं 2 निष्पादित। शेष कंडिका उत्तर भेजा जा चुका है। आपत्ति बनी हुई है।
6.	601/85–86	84–85	1 से 11	कंडिका संख्या – 5, 6, 7 बी, 9 बी, 10 एवं 11 निष्पादित। शेष कंडिकाओं का उत्तर भेजा जा चुका है। आपत्ति बनी हुई है।
7.	618/86–87	85–86	1 से 11	इन कंडिकाओं का उत्तर भेजा जा चुका है। आपत्ति बनी हुई है।
8.	1030/87–88	86–87	1 से 2	इन कंडिकाओं का उत्तर भेजा जा चुका है। आपत्ति बनी हुई है।
9.	603/88–89	87–88	1 से 4	इन कंडिकाओ का उत्तर भेजा जा चुका है। आपत्ति बनी हुई है।
10.	930/89–90	88–89	1 से 7	कंडिका–7 निषपादित। शेष कंडिकाओं का भी उत्तर भेजा गया है। आपत्ति बनी हुई है।

11.	788 / 90–91	89–90	1 से 2	कंडिका – 2 निष्पादित। कंडिका–1 का उत्तर भेजा जा चुका है। साथ ही संबंधिति बकाया राशि की वसूली हेतु नीलाम पत्र बाद भी दायर किया गया है।
12.	283 / 91–92	90–91	1,2,3 एवं 4 (ए), (वी)	सभी कंडिकाओं का उत्तर भेजा गया है। आपत्ति बनी हुई है।
13.	300 / 93–94	91–92 और 92–93	1 से 6	सभी कंडिकाओं का उत्तर भेजा गया है। आपत्ति बनी हुई है।
14.	112 / 95–96	93–94 और 94–95	1 से 11	कंडिका संख्या 7,9,10 एवं 11 निष्पादित। शेष कंडिकाओं का उत्तर भेजा जा चुका है। आपत्ति बनी हुई है।
15.	188 / 96–97	95–96	1 से 7	कंडिका 6 एवं 7 निष्पादित। शेष कंडिकाओं का उत्तर भेजा जा चुका है। आपत्ति बनी हुई है।
16.	71 / 98–99	96–97 और 97–98	1 से 8	सभी कंडिकाओं का उत्तर भेजा गया है। आपत्ति बनी हुई है।

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 79–80 में इस कार्यालय का महालेखाकार, रॉची द्वारा किए गये अंकेक्षण की कंडिका 1 एवं 2 में दर्शायी गई, आपत्ति अभी तक बनी हुई है, जो बहुत ही गम्भीर विषय है। उपर्युक्त आंकड़ों में यह दर्शाया गया है कि प्रायः कंडिकाओं का निष्पादन किया जा चुका है। परंतु आपत्ति बनी हुई है। आखिर जब आपत्ति का निराकरण कर दिया गया तो पुनः आपत्ति बनी हुई है, लिखने का क्या औचित्य है। अधीक्षक उत्पाद अभिलम्ब स्थिति स्पष्ट करें। बताया गया कि वर्ष–2002–2001 में भी इस कार्यालय का अंकेक्षण किया गया है। परंतु अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अधीक्षक उत्पाद, मधुबनी को आदेश दिया जाता है कि अंकेक्षण हेतु एक पंजी संधारित करें, एवं उठाये गये आपत्तियों को दर्ज करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन पत्रांक / दिनांक सहित लाल रंग अथवा पींक रंग से संधारित कराना सुनिश्चित करें। यह एक महत्वपूर्ण पंजी हैं।

(18) प्रशासनिक परिवर्त्तन :–

निरीक्षण के क्रम में अधीक्षक उत्पाद ने बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2001–2002 में कोई महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन नहीं हुआ है। इस वित्तीय वर्ष में देशी, विदेशी एवं मसालेदार देशी शराब की दुकानों की बन्दोबस्ती का अवधि विस्तार दो माह यथा अप्रील, 2001 एवं मई, 2001 तक के लिए किया गया था। इसके बाद बन्दोबस्ती शेष अवधि के लिए की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में विशेषाधिकार प्राप्त अनुज्ञप्ति प्रपत्र–27 (देशी शराब)

का अवधि विस्तार एक माह यानी अप्रील, 2002 तक पत्रांक 1205 दिनांक 31.03.2002 द्वारा तथा पुनः एक माह अर्थात मई, 2002 तक के लिए पत्रांक–1634 दिनांक 29.04.2002 के आलोक में एवं पत्रांक 1966 दिनांक 31.05.2002 द्वारा दो माह यथा माह जून, 2002 एवं जुलाई, 2002 तक के लिए किया गया।

(19) बन्दोबस्ती :–

अधीक्षक उत्पाद ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2001–2002 में यथा वित्तीय वर्ष 2002–2003 में सभी प्रकार की देशी, विदेशी एवं मसालेदार देशी शराब की दुकानों की शत–प्रतिशत बन्दोबस्ती हुई है। छः विदेशी शराब दुकानों यथा (1) मधुबनी वार्ड नं0–4 (2), मधुबनी वार्ड नं0–6 (3), मधुबनी वार्ड नं0–15 (4), सकरी (5) पंडौल (6) रामपट्टी को वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए रक्षित शुल्क से कम पर अर्थात विगत तीन वर्षो का बन्दोबस्त की राशि की औसत राशि पर 10 प्रतिशत जोड़कर बन्दोबस्ती की गयी, जिसका अनुमोदन आयुक्त उत्पाद के सचिव, बिहार, पटना के पत्रांक–1539 दिनांक 20.04.2002 द्वारा प्राप्त हो चुका है।

मधुबनी जिले में देशी शराब की 42 (बियालीस), विदेशी शराब की 30 (तीस) एवं मसालेदार (देशी शराब) की 17 (सतरह) दुकाने अवस्थित है। जिसकी विस्तृत विवरणी निम्नवत हैः–

देशी शराब दुकानों के अनुज्ञाधारी का नाम एवं पता

क्रमांक	अनुज्ञाधारी का नाम एवं पता	दुकान का नाम	अनुमंडल का नाम	प्रखंड का नाम	रक्षित शुल्क की राशि	बन्दोबस्त शुल्क की राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री राजीव कुमार सिंह, पे0–उपेन्द्र ना0 सिंह, सा0–मटिहानी, थाना–मटिहानी, जिला–बेगूसराय	रहिका	सदर, मधुबनी	रहिका	15,307	15,307
2.	श्री विन्देश्वर प्रसाद, पे0–स्व0 हरि प्रसाद सा0–पुरानी चट्टी वार्ड नं0–5, थाना+जिला–मधुबनी, बशौली	बशौली	सदर, मधुबनी	रहिका	13,310	13,310
3.	श्री शिवशंकर साह, पं0–दुखी साह, सा0 सुरतगंज वार्ड नं0–12, जिला–मधुबनी	रामपट्टी	सदर, मधुबनी	राजनगर	29,700	29,700
4.	श्री राजकुमार जयसवाल, पे0–विश्वनाथ चौधरी, पुरानीचट्टी वार्ड नं0–5 थाना+जिला–मधुबनी	सतघारा	सदर, मधुबनी	राजनगर	46,200	46,200

का अवधि विस्तार एक माह यानी अप्रील, 2002 तक पत्रांक 1205 दिनांक 31.03.2002 द्वारा तथा पुनः एक माह अर्थात मई, 2002 तक के लिए पत्रांक–1634 दिनांक 29.04.2002 के आलोक में एवं पत्रांक 1966 दिनांक 31.05.2002 द्वारा दो माह यथा माह जून, 2002 एवं जुलाई, 2002 तक के लिए किया गया।

(19) बन्दोबस्ती :–

अधीक्षक उत्पाद ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2001–2002 में यथा वित्तीय वर्ष 2002–2003 में सभी प्रकार की देशी, विदेशी एवं मसालेदार देशी शराब की दुकानों की शत–प्रतिशत बन्दोबस्ती हुई है। छः विदेशी शराब दुकानों यथा (1) मधुबनी वार्ड नं0–4 (2), मधुबनी वार्ड नं0–6 (3), मधुबनी वार्ड नं0–15 (4), सकरी (5) पंडौल (6) रामपट्टी को वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए रक्षित शुल्क से कम पर अर्थात विगत तीन वर्षो का बन्दोबस्त की राशि की औसत राशि पर 10 प्रतिशत जोड़कर बन्दोबस्ती की गयी, जिसका अनुमोदन आयुक्त उत्पाद के सचिव, बिहार, पटना के पत्रांक–1539 दिनांक 20.04.2002 द्वारा प्राप्त हो चुका है।

मधुबनी जिले में देशी शराब की 42 (बियालीस), विदेशी शराब की 30 (तीस) एवं मसालेदार (देशी शराब) की 17 (सतरह) दुकाने अवस्थित है। जिसकी विस्तृत विवरणी निम्नवत हैः–

देशी शराब दुकानों के अनुज्ञाधारी का नाम एवं पता

क्रमांक	अनुज्ञाधारी का नाम एवं पता	दुकान का नाम	अनुमंडल का नाम	प्रखंड का नाम	रक्षित शुल्क की राशि	बन्दोबस्त शुल्क की राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री राजीव कुमार सिंह, पे0–उपेन्द्र ना0 सिंह, सा0–मटिहानी, थाना–मटिहानी, जिला–बेगूसराय	रहिका	सदर, मधुबनी	रहिका	15,307	15,307
2.	श्री विन्देश्वर प्रसाद, पे0–स्व0 हरि प्रसाद सा0–पुरानी चट्टी वार्ड नं0–5, थाना+जिला–मधुबनी, बशौली	बशौली	सदर, मधुबनी	रहिका	13,310	13,310
3.	श्री शिवशंकर साह, पं0–दुखी साह, सा0 सुरतगंज वार्ड नं0–12, जिला–मधुबनी	रामपट्टी	सदर, मधुबनी	राजनगर	29,700	29,700
4.	श्री राजकुमार जयसवाल, पे0–विश्वनाथ चौधरी, पुरानीचट्टी वार्ड नं0–5 थाना+जिला–मधुबनी	सतघारा	सदर, मधुबनी	राजनगर	46,200	46,200

16.	श्री प्रमोद कुमार पे0—स्व0 मिसरी लाल प्रसाद सा0 मनीगाछी, दरभंगा	हरलाखी	बेनीपट्टी	हरलाखी	5,500	5,500
17.	श्री प्रमोद कुमार पे0—स्व0 मिसरी लाल प्रसाद सा0 मनीगाछी, दरभंगा	साहर	बेनीपट्टी	मधवापुर	11,550	11,550
18.	श्री काशीनाथ प्रसाद पे0—स्व0 जगन्नाथ प्रसाद सा0—थाना—कुर्शा, जिला जहानाबाद	बेनीपट्टी	बेनीपट्टी	बेनीपट्टी	29,150	29,245
19.	श्री काशीनाथ प्रसाद पे0—स्व0 जगन्नाथ प्रसाद सा0—थाना—कुर्शा, जिला जहानाबाद	अरेड़ हाट	वेनीपट्टी	वेनीपट्टी	13,981	14,100
20.	बिन्देश्वर प्रसाद, स्व0 हरि प्रसाद सा0—पुरानी चट्टी वार्ड नं0—5, थाना—जिला—मधुबनी	धजवा	बेनीपट्टी	विस्फी	11,110	11,110
21.	श्री कर्पूरी चौधरी पे0 कार्तिक चौधरी सा0—थाना—मटिहानी, जिला—बेगूसराय	लोहा	बेनीपट्टी	बेनीपट्टी	32,610	31,610
22.	श्री काशी नाथ प्रसाद स्व0 जगन्नाथ प्रसाद थाना—कुर्था, जिला—जहानाबाद	बसैठा	बेनीपट्टी	बेनीपट्टी	12,760	13,050
23.	श्री राजकुमार प्रसाद पे0—रामचन्द्र प्रसाद सा0 सप्ता, थाना—जिला मधुबनी	सिमरी	बेनीपट्टी	बेनीपट्टी	6,820	6,820
24.	श्री काशी नाथ प्रसाद पे0—जगन्नाथ प्रसाद सा0 थाना—कुर्शा, जिला—जहानाबाद	खिरहर	बेनीपट्टी	बेनीपट्टी	30,855	30,855
25.	श्री कर्पुरी चौधरी, पे0—श्री कार्तिक चौधरी, सा0 मटिहानी, जिला—बेगूसराय	जयनगर	जयनगर	जयनगर	55,000	55,000
26.	श्री कर्पुरी चौधरी, पे0—श्री कार्तिक चौधरी, सा0 मटिहानी, जिला—बेगूसराय	लदनियाँ	जयनगर	लदनियाँ	3,491	3,491

16.	श्री प्रमोद कुमार पे0–स्व0 मिसरी लाल प्रसाद सा0 मनीगाछी, दरभंगा	हरलाखी	बेनीपट्टी	हरलाखी	5,500	5,500
17.	श्री प्रमोद कुमार पे0–स्व0 मिसरी लाल प्रसाद सा0 मनीगाछी, दरभंगा	साहर	बेनीपट्टी	मधवापुर	11,550	11,550
18.	श्री काशीनाथ प्रसाद पे0–स्व0 जगन्नाथ प्रसाद सा0–थाना–कुर्शा, जिला जहानाबाद	बेनीपट्टी	बेनीपट्टी	बेनीपट्टी	29,150	29,245
19.	श्री काशीनाथ प्रसाद पे0–स्व0 जगन्नाथ प्रसाद सा0–थाना–कुर्शा, जिला जहानाबाद	अरेड़ हाट	बेनीपट्टी	बेनीपट्टी	13,981	14,100
20.	विन्देश्वर प्रसाद, स्व0 हरि प्रसाद सा0–पुरानी चट्टी वार्ड नं0–5, थाना–जिला–मधुबनी	धजवा	बेनीपट्टी	विस्फी	11,110	11,110
21.	श्री कर्पूरी चौधरी पे0 कार्तिक चौधरी सा0–थाना–मटिहानी, जिला–बेगूसराय	लोहा	बेनीपट्टी	बेनीपट्टी	32,610	31,610
22.	श्री काशी नाथ प्रसाद स्व0 जगन्नाथ प्रसाद थाना–कुर्था, जिला–जहानाबाद	बसैठा	बेनीपट्टी	बेनीपट्टी	12,760	13,050
23.	श्री राजकुमार प्रसाद पे0–रामचन्द्र प्रसाद सा0 सप्ता, थाना–जिला मधुबनी	सिमरी	बेनीपट्टी	बेनीपट्टी	6,820	6,820
24.	श्री काशी नाथ प्रसाद पे0–जगन्नाथ प्रसाद सा0 थाना–कुर्शा, जिला–जहानाबाद	खिरहर	बेनीपट्टी	बेनीपट्टी	30,855	30,855
25.	श्री कर्पुरी चौधरी, पे0–श्री कार्तिक चौधरी, सा0 मटिहानी, जिला–बेगूसराय	जयनगर	जयनगर	जयनगर	55,000	55,000
26.	श्री कर्पुरी चौधरी, पे0–श्री कार्तिक चौधरी, सा0 मटिहानी, जिला–बेगूसराय	लदनियाँ	जयनगर	लदनियाँ	3,491	3,491

27.	श्री कर्पूरी चौधरी, पे0–श्री कार्तिक चौधरी, सा0 मटिहानी, जिला–बेगूसराय	पदमा	जयनगर	जयनगर	3,720	3,720
28.	श्री प्रमोद कुमार, पे. स्व0 मिश्री लाल प्रसाद, सा0 मानीगाछी, जिला दरभंगा	बासोपट्टी	जयनगर	बासोपट्टी	20,955	20,955
29.	श्री सत्य ना0 प्रसाद, पे0 स्व0 सुन्दर लाल साह, सा0 पटेलनगर, जिला–खगड़िया	झंझारपुर बाजार	झंझारपुर	झंझारपुर	28,600	29,050
30.	श्री विजय कुमार चौधरी, पे0 सीताराम चौधारी सा0 लोहापट्टी वार्ड नं0–11 थाना–जिला–मधुबनी	झंझारपुरस्टेशन बाजार	झंझारपुर	झंझारपुर	42,900	43,100
31.	श्री सत्य नारायण प्रसाद, पे0–स्व0 सुन्दरलाल साह, पटेल नगर, थाना+जिला–खगड़िया	मधेपुर	झंझारपुर	झंझारपुर	31,900	32,200
32	श्री सत्य नारायण प्रसाद, पे0–स्व0 सुन्दरलाल साह, पटेल नगर, थाना+जिला–खगड़िया	तमुरिया	झंझारपुर	झंझारपुर	10,043	10,043
33.	श्री दिनेश प्रसाद, पे0–श्री राधे प्रसाद, सा0–पटेलनगर थाना+जिला–खगड़िया	अंधराठाढ़ी	झंझारपुर	अंधराठाढ़ी	16,500,	16,900
34.	श्री अजय कुमार जयसवाल, पे0–श्रीराजेन्द्र प्रसाद जयसवाल, सा0–पुरानीचट्टी, वार्ड नं0–5 थाना–जिला–मधुबनी	खुटौना	फुलपरास	फुलपरास	19,800	19,800
35.	श्री दिनेश प्रसाद, पे0 श्री राधे साह, सा0–पटेल नगर, थाना–जिला–खगड़िया	लौकही	फुलपरास	लौकही	2,299	2,299
36.	श्री दिनेश प्रसाद, पे0 श्री राधे साह, सा0–पटेल नगर, थाना–जिला–खगड़िया	नरहिया	फुलपरास	फुलपरास	3,504	3,504

37.	श्री अजय कुमार जयसवाल, पे0–श्रीराजेन्द्र प्रसाद जयसवाल, सा0–पुरानीचट्टी, वार्ड नं0–5 थाना–जिला–मधुबनी	बनगामा	फुलपरास	लौकही	3,520	3,520
38.	श्री दिनेश प्रसाद, पे0 श्री राधे साह, सा0–पटेल नगर, थाना–जिला–खगड़िया	घोघरडीहा	फुलपरास	घोघरडीहा	20,900	21,200
39.	श्री दिनेश प्रसाद, पे0 श्री राधे साह, सा0–पटेल नगर, थाना–जिला–खगड़िया	फुलपरास	फुलपरास	फुलपरास	6,820	6,820
40.	श्री अजय कुमार जयसवाल, पे0–श्रीराजेन्द्र प्रसाद जयसवाल, सा0–पुरानीचट्टी, वार्ड नं0–5 थाना–जिला–मधुबनी	सिशवार	फुलपरास	फुलपरास	2,585	3,615
41.	श्री सत्य नारायण प्रसाद, पे0–स्व0 सुन्दरलाल साह, पटेल नगर, थाना+जिला–खगड़िया	तुलापतगंज	झंझारपुर	झंझारपुर	9,900	10,895
42.	श्री दिनेश प्रसाद, पे0 श्री राधे साह, सा0–पटेल नगर, थाना–जिला–खगड़िया	हटनी	फुलपरास	घोघरडीहा	16,940	16,940
				कुल योग :–	8,71,742	8,80,510

<u>विदेशी शराब खुदरा दुकानों के अनुज्ञाधारी का नाम एवं पता :–</u>

क्रमांक	अनुज्ञाधारी का नाम एवं पता	दुकान का नाम	अनुमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	रक्षित शुल्क की राशि	बन्दोबस्त शुल्क की राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री विन्देश्वर प्रसाद, पे0– स्व0 हरि प्रसाद, सा0 पुरानी चट्टी, वार्ड नं0–5	वार्ड नं0–4	सदर, मधुबनी	सदर, मधुबनी	56,100	37,625

2.	श्री काशी नाथ प्रसाद, पे0– स्व0 हरि प्रसाद, सा0 पुरानी चट्टी, वार्ड नं0–5	वार्ड नं0–6	सदर मधुबनी	सदर मधुबनी	56,100	42,152
3.	श्री विन्देश्वर प्रसाद, पे0– स्व0 हरि प्रसाद, सा0 पुरानी चट्टी, वार्ड नं0–5	वार्ड नं0–11	सदर मधुबनी	सदर मधुबनी	31,900	32,050
4.	श्री अशोक प्रसाद, पे. विन्दा प्रसाद, सा0 सीतामढ़ी कोर्ट बजार, थाना–जिला–सीतामढ़ी	वार्ड नं0–15	सदर मधुबनी	सदर मधुबनी	56,100	35,788
5.	श्री कपिन्द्र महतो पे0– रामस्वरूप महतो सा. सीतामढ़ी गौशाला चौक, थाना–जिला–सीतामढ़ी	भौआड़ा	सदर मधुबनी	सदर मधुबनी	30,800	30,900
6.	श्री कपिन्द्र महतो पे0– रामस्वरूप महतो सा. सीतामढ़ी गौशाला चौक, थाना–जिला–सीतामढ़ी	रहिका	सदर मधुबनी	रहिका	23,100	23,300
7.	श्री काशी नाथ प्रसाद, पे0–स्व0 जगन्नाथ प्रसाद सा0 थाना–कुर्था जिला–जहनाबाद	सकरी	सदर मधुबनी	पंडौल	39,600	26,017
8.	श्री राजकुमार जयसवाल पे0–विश्वनाथ चौधरी, सा0 पुरानी चट्टी वार्डनं0–5 थाना–जिला–मधुबनी	रजनगर	सदर मधुबनी	राजनगर	39,710	39,170
9.	श्री कपिन्द्र महतो पे0– रामस्वरूप महतो सा. सीतामढ़ी गौशाला चौक, थाना–जिला–सीतामढ़ी	पंडौल	सदर मधुबनी	पंडौल	30,910	20,383

10	श्री राजकुमार जयसवाल पे0–विश्वनाथ चौधरी, रा0 पुरानी चट्टी वार्डनं0–5 थाना–जिला–मधुबनी	वाबूबरही	सदर मधुबनी	वावूबरही	18,150	18,150
11.	श्रीसंजय कुमार पे0–स्व0राजकुमार सा0 मधुवनी जिला–मधुबनी	सरिसवपाही	सदर मधुबनी	पंडौल	25,200	25,500
12.	श्री अशोक प्रसाद, पे. विन्दा प्रसाद, सा0 सीतामढ़ी कोर्ट वजार, थाना–जिला–सीतामढ़ी	रामपट्टी	सदर मधुबनी	राजनगर	17,820	10,554
13.	श्री अशोक प्रसाद, पे. विन्दा प्रसाद, सा0 सीतामढ़ी कोर्ट बजार, थाना–जिला–सीतामढ़ी	बेनीपट्टी	बेनीपट्टी	बेनीपट्टी	52,250	52,250
14.	श्री रामपरीक्षण सिंह पे0–अवध सिंह सा0–लक्ष्मीपुर थाना–खजौली, जिला–मधुबनी	खजौली	सदर मधुबनी	खजौली	8,360	9,325
15.	श्री विन्देश्वर प्रसाद, पे0– स्व0 हरि प्रसाद, सा0 पुरानी चट्टी, वार्ड नं0–5	औसी	बेनीपट्टी	विस्फी	18,150	18,150
16.	श्री कपिन्द्र महतो पे0– रामस्वरूप महतो सा. सीतामढ़ी गौशाला चौक, थाना–जिला–सीतामढ़ी	चहुट्टा	बेनीपट्टी	बेनीपट्टी	10,500	10,744
17.	श्री अशोक प्रसाद, पे. विन्दा प्रसाद, सा0 सीतामढ़ी कोर्ट बजार, थाना–जिला–सीतामढ़ी	मधवापुर	बेनीपट्टी	मधवापुर	32.527	32,530

18.	श्री अजय कुमार जयसवाल, पे0–राजेन्द्र प्रसाद जयसवाल सा0 पुरानी चट्टी वार्ड नं0:5 थाना+जिला–मधुबनी	खुटौना	फुलपरास	खुटौना	34,210	34,210
19.	श्री रामपरीक्षण सिंह पे0–अवध सिंह सा0–लक्ष्मीपुर थाना–खजौली, जिला–मधुबनी	कलुआही	सदर मधुबनी	कलुआही	35,420	35,420
20.	श्री प्रमोद कुमार पे0–मिसरी लाल प्रसाद सा0+थाना–मनीगाछी, जिला–दरभंगा	बासोपट्टी	जयनगर	बासोपट्टी	27,500	27,500
21.	श्री विरेन्द्र कुमार पे0 श्री मौजे लाल साह सा0+थाना–सीतामढ़ी, जिला–सीतामढ़ी	मधेपुर	झंझारपुर	मधेपुर	35,200	36,049
22.	श्री दिनेश प्रसाद पे0–राधे प्रसाद, सा0–पटेल नगर खगडिया	अंधराठाढ़ी	झंझारपुर	अंधराठाढ़ी	25,854	25,854
23.	श्रीसंजय कुमार पे0–स्व0राजकुमार सा0 मधुवनी जिला–मधुबनी	घोघरडीहा	फुलपरास	घोघरडीहा	22,220	22,300
24.	श्री विरेन्द्र कुमार पे0 श्री मौजे लाल साह सा0+थाना–सीतामढ़ी, जिला–सीतामढ़ी	झंझारपुर स्टेशन बजार	झंझारपुर	झंझारपुर	34,430	34,582
25.	श्री कपिन्द्र महतो पे0– रामस्वरूप महतो सा. सीतामढ़ी गौशाला चौक, थाना–जिला–सीतामढ़ी	महादेव मठ	झंझारपुर	लौकही	9,136	9,136
26.	श्री कपिन्द्र महतो पे0– रामस्वरूप महतो सा. सीतामढ़ी गौशाला चौक, थाना–जिला–सीतामढ़ी	भेजा	झंझारपुर	मधेपुर	26,620	26,620

27.	श्री राजकुमार जयसवाल पे0–विश्वनाथ चौधरी, सा0 पुरानी चट्टी वार्डनं0–5 थाना–जिला–मधुवनी	लौकही	फुलपरास	लौकही	11,253	11,253
28.	श्री नरेश राम पे. श्री दरोगा राम सा0 दोगर मदनपुर थाना–परसौनी जिला–सीतामढ़ी	जयनगर	जयनगर	जयनगर	35,310	35,310
29.	श्री अजय कुमार जयसवाल, पे0–राजेन्द्र प्रसाद जयसवाल सा0 पुरानी चट्टी वार्ड नं0:5 थाना+जिला–मधुवनी	लौकही	फुलपरास	खुटौना	9,955	9,950
30.	श्री नरेश राम पे. श्री दरोगा राम सा0 दोगर मदनपुर थाना–परसौनी जिला–सीतामढ़ी	भेलवा टोल	जयनगर	जयनगर	35,310	35,310

मसालेदार (देशी शराब) खुदरा दुकानों के अनुज्ञाधरी के नाम एवं पता :-

क्रमांक	अनुज्ञाधारी का नाम एवं पता	दुकान का नाम	अनुमंडल का नाम	प्रखंड का नाम	रक्षित शुल्क की राशि	बन्दोबस्त शुल्क की राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री दिनेश प्रसाद पे0–राधे प्रसाद, सा0–पटेल नगर खगडिया	मधुबनी वार्ड–2	सदर	सदर	2,197	2,197
2.	श्री विन्देश्वर प्रसाद, पे0– स्व0 हरि प्रसाद, सा0 पुरानी चट्टी, वार्ड नं0–5	मधुबनी वार्ड–1	सदर	सदर	11,478	11,478
3.	श्री अरूण राय पे0 लक्ष्मी राय सा0 भौआड़ा, मधुबनी	लोहट	सदर	सदर	4,100	4,100
4.	श्री विन्देश्वर प्रसाद, पे0– स्व0 हरि प्रसाद, सा0 पुरानी चट्टी, वार्ड नं0–5	कोतवाली चौक	सदर	सदर	3,630	3,630

5.	श्री अशोक प्रसाद, पे. विन्दा प्रसाद, सा0 सीतामढ़ी कोर्ट बजार, थाना–जिला–सीतामढ़ी	भगवतीपुर	सदर	राजनगर	5,317	5,317
6.	श्री कपिन्द्र महतो पे0– रामस्वरूप महतो सा. सीतामढ़ी गौशाला चौक, थाना–जिला–सीतामढ़ी	पंडौल	सदर	पंडौल	4,540	4,540
7.	नवीन कुमार सिंह पे0 रामनारायण सिंह सा0 दुतुआर थाना–खजौली जिला–मधुबनी	खजौली	सदर	खजौली	9,350	9,500
8.	श्री अरविन्द साह, पे0स्व0 नथुनी साह सा0 नारियल बाजार, थाना+जिला–मधुबनी	रॉटी	सदर	राजनगर	3,355	3,380
9.	श्री राजकुमार जरासवाल पे0–विश्वनाथ चौधरी, सा0 पुरानी चट्टी वार्डनं0–5 थाना–जिला–मधुबनी	राजनगर	सदर	राजनगर	1,661	1,661
10.	श्री अशोक प्रसाद, पे. विन्दा प्रसाद, सा0 सीतामढ़ी कोर्ट बजार, थाना–जिला–सीतामढ़ी	बेनीपट्टी	बेनीपट्टी	बेनीपट्टी	7,258	7,258
11.	श्री काशी नाथ प्रसाद, पे0–स्व0 जगन्नाथ प्रसाद सा0 थाना–कुर्था जिला–जहनाबाद	बसैठा	बेनीपट्टी	बेनीपट्टी	3,740	3,900
12.	श्री विन्देश्वर प्रसाद, पे0– स्व0 हरि प्रसाद, सा0 पुरानी चट्टी, वार्ड नं0–5	औंसी	बेनीपट्टी	विस्फी	6,042	6,042
13.	श्री वीरेन्द्र कुमार पे0–मोहन लाल साह, सा0 सीतामढ़ी जिला–सीतामढ़ी	झंझारपुर	झंझारपुर	झंझारपुर	9,518	9,518
14.	श्री बीरेन्द्र कुमार पे0–मोहन लाल साह, सा0 सीतामढी जिला–सीतामढ़ी	मधेपुर	झंझारपुर	मधेपुर	9,051	9,051
15.	श्री नरेश राम पे. श्री दरोगा राम सा0 दोगर मदनपुर थाना–परसौनी जिला–सीतामढ़ी	जयनगर	जयनगर	जयनगर	9,935	9,935

16.	श्री दिनेश प्रसाद पे0–राधे प्रसाद, सा0–पटेल नगर जिला–सीतामढ़ी	फुलपरास	फुलपरास	फुलपरास	3,594	3,594
17.	श्री दिनेश प्रसाद पे0–राधे प्रसाद, सा0–पटेल नगर जिला–सीतामढ़ी	घोघरडीहा	फुलपरास	घोघरडीहा	2,915	3,025
				कुल योग :–	97,681	98,126

<u>मधुबनी जिलान्तर्गत विगत तीन वर्षो में उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती की स्थिति निम्नवत है :–</u>

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	देशी शराब				विदेशीशराब				मसालेदार देशी शराब			
		स्वीकृत संख्या	बन्दोवस्त संख्या	अबन्दोवस्त संख्या	बन्दोवस्ती का प्रति0	स्वीकृत संख्या	बन्दोवस्त संख्या	अबन्दोवस्त संख्या	बन्दोवस्ती का प्रति0	स्वीकृत संख्या	बन्दोवस्त संख्या	अबन्दोवस्त संख्या	बन्दोवस्ती का प्रति0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1999–2000	40	40	–	100%	27	27	–	100%	17	17	–	100%
2.	2000–2001	42	42	–	100%	30	30	–	100%	17	17	–	100%
3.	2001–2002	42	42	–	100%	30	30	–	100%	17	17	–	100%
4.	2002–2003	42	42	–	100%	30	30	–	100%	17	17	–	100%

अधीक्षक उत्पाद ने बताया कि उपर्युक्त उत्पाद दुकानों के अतिरिक्त इस जिले में विदेशी शराब थौक दुकानों का दो प्रतिष्ठान क्रमशः (1) मिथिला वाईन तथा (2) मधुबनी वाईन डिस्ट्रीव्यूटर के नाम से जाना जाता है, जो क्रमशः बड़ा बाजार तथा गदियानी में स्थित है। इसके अतिरिक्त इस जिले में दो स्वतंत्र बीयर बार स्वीकृत है जो क्रमशः जयनगर एवं मधुबनी (गिलेशन बाजार) में अवस्थित है। बताया गया कि बीयर बार मधुबनी नं0–1 का नवीकरण वाणिज्यकर स्वच्छता प्रमाण–पत्र के अभाव में नहीं किया जा सका है अधीक्षक उत्पाद को उपदेश दिया जाता है कि उक्त बीयर बांर का अविलम्ब नवीकरण कराना सुनिश्चित करें एवं स्पष्टीकरण दें कि किस परिस्थिति में बिना नवीकरण के उक्त बीयर बार चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिले में देशी शराब की थौक आपूर्ति हेतु दो मद भंडागार (सैचेट निर्माणशाला) यथा (1) सर्वश्री एस0 सी0 आई0 इंडिया लि0 एवं (2) सर्व श्री संजय कुमार बालकिसुन गंज, पटना–7 इकाई

मद भंडागार कार्यरत है तथा सर्वश्री एस0 क0जी0 कोन्सोलिटेड लि0 का नवीकरण वाणिज्यकर सफाया/अनापत्ति प्रमाण–पत्र के अभाव में नहीं किया गया, जो बहुत ही गंभीर विषय है। अधीक्षक उत्पाद अविलम्ब स्थिति स्पष्ट करे कि किस परिस्थिति में वाणिज्यकर सफाया/अनाप्ति प्रमाण पत्र के अभाव में बिना नवीकरण के कार्यरत है। अधीक्षक उत्पाद ने बताया कि उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती 01.04.2000 से 31.03.2002 तक के लिए होती है, जिसमे पहले तीन माह की राशि चलान के द्वारा ली जाती है। पहला तीन माह अप्रील से जून तक एवं वर्ष 2003 के लिए जनवरी, फरवरी एवं मार्च की राशि एक साथ ली जाती है। तत्पश्चात पुनः जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर के लिए बन्दोबस्त की राशि प्रत्येक माह में ली जाती है।

(20) उत्पाद राजस्व :–

विगत पॉच वर्षो का राजस्व संग्रहण का ऑकड़े निम्नवत हैं:–

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	वार्षिक लक्ष्य	वर्ष में की गई कुल प्राप्ति	लक्ष्य के विरूद्ध प्राप्ति का प्रति0
1	2	3	4	5
1	1997–98	2.80 करोड	3,55,02,241=00	126.79%
2	1998–99	4.05 करोड	4,20,95,335=95	103.94%
3.	1999–2000	5.79 करोड	5,03,35,556=75	86.93%
4.	2000–2001	5.79 करोड	5,06,75,307=15	87.52%
5.	2001–2002	7.05 करोड	7,27,74,539=84	103.22%
6.	2002–2003	7.05 करोड	1,26,76,411=20 (जून 02 तक)	17.98%

उपर्युक्त आंकड़ा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1999–2000, 2000–2001 मात्र शत–प्रतिशत उपलब्धि नहीं हुई है, परंत अन्य वर्षो में लक्ष्य के विरूद्ध प्राप्ति का प्रतिशत शत–प्रतिशत है। अधीक्षक उत्पाद, मधुबनी को आदेश दिया जाता है कि वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध शत–प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करें।

(21) पंजी–66 :–

पंजी–66 का अवलोकन किया। पंजी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि देशी शराब, विदेशी शराब एवं मसालेदार देशी शराब की दुकानों की अनुज्ञाधारियों का नाम, दुकान की बन्दोवस्त राशि एव जमा छः माह की अग्रिम नीलाम राशि कार्यालय द्वारा कोषागार, मधुबनी में जमा किया गया है, जिसकी चलान संख्या/दिनांक तथा कार्यालय रसीद संख्या/तिथि सहित अंकित किया गया है। यह पंजी अद्धतन संधारित है।

(22) पंजी–67 :–

पंजी–67 का अवलोकन किया। यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित नहीं की गयी है। इसे उत्पाद अधिनियम की धारा–485 (1) के तहत विहित प्रपत्र में वर्णित प्रपत्र में मुद्रित कराकर संधारित करने का निर्देश दिया जाता है। पंजी–67के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभी भी मो0 56,42,526/–रूपया वसूली हेतु बकाया है। अधीक्षक उत्पाद को आदेश दिया जाता है कि उक्त राशि की वसूली हेतु नीलाम पत्र वाद दायर करें। वर्षवार बकाया एवं उसके विरूद्ध अबतक की गई वसूली की विवरणी निम्नवत है :–

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	कुल बकाया राशि	वसूली गई कुल राशि	शेष बकाया राशि
1	2	3	4	5
1.	1973–74	976=00	976=00	–––
2.	1974–75	3,692=00	3,692=00	–––
3.	1975–76	966=00	966=00	–––
4.	1976–77	330=00	330=00	–––
5.	1977–78	1,450=00	1,450=00	–––
6.	1978–79	415=00	415=00	–––
7.	1979–80	1,890=00	1,890=00	–––
8.	1980–81	442=00	442=00	–––
9.	1981–82	4,62,517=00	–––	4,62,517=00
10.	1982–83	238=00	238=00	–––
11.	1983–84	1,701=00	1,701=00	–––
12.	1984–85	14,423=00	–––	14,423=00
13.	1985–86	73,213=00	–––	73,213=00
14.	1986–87	2,01,982=00	–––	2,01,982=00

15.	1987–88	1,24,997=00	–––	1,24,997=00
16	1988–89	40,925=00	3,429=00	37,496=00
17.	1989–90	5,200=00	–––	5,200=00
18	1990–91	40,420=00	6,130=00	34,290=00
19.	1991–92	79198=00	12,208=00	66,990=00
20.	1992–93	8,19,369=52	105=60	2,19,263=92
21.	1993–94	13,038,032=00	1,10,596=97	12,27,435=03
22.	1994–95	26,00,215=00	3,93,880=00	22,06,335=00
23.	1995–96	2,87,536=66	35,433=66	2,52,103=00
24	1996–97	1,17,846=00	31,153=00	86,693=00
25.	1997–98	26,460=00	–––	26,460=00
26.	1998–99	–––	–––	–––
27	1999–2000	55,401=00	55,401=00	–––
28	2000–2001	–––	–––	–––
29	2001–2002	–––	–––	–––
		62,99,535=18	6,57,008=23	56,42,526=95

(23) पंजी – 68 :–

यह पंजी संधारित है। इस पंजी में विदेशी शराब (थौक विक्री), विदेशी शराब (खुदरा एवं मसालेदार देशी शराब) (खुदरा) मद भंडार में संशोधित सुषव की आपूर्ति हेतु अलग–अलग पंजी–68 का संधारण किया जाता है। इस पंजी में दिनांक 30.06.2002 तक कुल 56 पारक, विदेशी शराब (खुदरा में) 131 पारक तथा मसालेदार शराब (खुदरा) में कुल 27 पारक एवं संशोधित सुषक (देशी शराब के निमित) की आपूर्ति हेतु कुल 6 पारक निर्गत किया गया है।

(24) पंजी – 70 तथा 70 ए :–

यह पंजी देशी–विदेशी एवं मसालेदार देशी शराब के खपत से संबंधित है। अंचल अवर निरीक्षक का निर्देश दिया जाता है कि वे खपत विवरणी तैयार कर निरीक्षक उत्पाद के माध्यम से कार्यालय को प्राप्त करावे ताकि पंजी अद्यतन संधारित की जा सके। यहसही ढंग से संधारित नही है। यह एक महत्वपूर्ण पंजी है, जिसे सही ढंग से संधारित करना सुनिश्चित करें।

(25) पंजी – 71 (बन्दोवस्ती पंजी) :–

यह पंजी अद्धतन संधारित है एवं निलामी से बन्दोवस्त प्रत्येक दुकानों के सम्मुख पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर अंकित है।

(26) पंजी – 72 (डाक बोल पंजी) :–

यह पंजी बन्दोवस्ती के समय उपयोग में लायी जाती है। पंजी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि बन्दोवस्त दुकानों पर पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर अंकित है।

(27) पंजी – 73 :–

यह पंजी संधारित है। इसपंजी में अनुज्ञाधारियों के विरूद्ध दर्ज की गई अनियमितताओं को अंकित किया जाता है। यह पंजी अद्यतन संधारित है। इस पंजी के अनुसार विगत पॉच वर्षो का ऑकड़ा निम्न प्रकार है :–

वित्तीय वर्ष	दर्ज की गई कुल अनियमितताओं की संख्या	निष्पादित	लंवित	संधान शुल्क	वसूली	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7
1997–98	2	2	–	1100=00	1100=00	–
1998–99	22	22	–	19,500=00	19,500=00	–
1999–2000	26	26	–	34,201=00	34,201=00	–
2000–2001	37	37	–	1,04,350=00	1,04,350=00	–
2001–2002	15	15	–	45,500=00	45,500=00	–
2002–2003 (30.06.02 तक)	10	–	10	–	–	–

(28) पंजी–74 (कुर्की अधिपत्र) :–

यह पंजी अद्धतन संधारित की गयी है। इस पंजी में 52 (बावन) कुर्की अधिपत्रों में से 9 (नौ) को निष्पादित किया जा चुका है तथा शेष 43 (तैंतालिस) कुर्की अधिपत्रों में सन्निहित राशि में से भी कुछ राशि की वसूली भी की गई है। बताया गया कि अब तक कुल सन्निहित राशि 43,90,455/– रूपया में से मात्र 1,78,578/–रूपये की वसूली की गयी है, जो बहुत ही चिन्ताजनक स्थिति है। अधीक्षक उत्पाद को आदेश दियाजाता है कि शेष कुर्की अधिपत्रों जिनसे राशि वसूलनीय है की विस्तृत विवरणी तैयार कर अविलम्ब वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करें, एवं अनुपालन से अघोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय।

(29) पंजी–75 :–

बताया गया कि यह जमानत की राशि वापस करने से संबंधित पंजी है। वर्ष 2001–2002 में कुल पॉच वापसी विपत्र बनाया गया है, जिसमें से विपत्र संख्या 1 एवं 2 द्वारा बकाया राशि का समायोजन किया जाचुका है एवं शेष विपत्रों द्वारा जमानत राशि संबंधित व्यक्ति को वापस किया गया है। वर्ष 2002–2003 में दिनांक 24–6–2002 तक कुल 29 (उन्तीस) वापसी विपत्र बनाया गया है, जो सभी बकाये राशि के समायोजन से संवंधित है।

(30) पंजी–76 :–

बताया गया कि यह पंजी संधारित नहीं की जाती है क्योंकि वर्त्तमान समय में लागत मूल्य ठीकेदार या उनके प्रतिनिधि सीधे खुदरा अनुज्ञाधारियों से वसूल करते हैं।

(31) पंजी – 94 :–

बताया गया कि यह पंजी अनुज्ञाशुल्क बकाया से संबंधित है। पंजी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वर्ष 1998–99 से वर्ष 2001–2002 तक अनुज्ञाशुल्क के मद में कोई भी बकाया नहीं है।

(32) पंजी – 101 :– (अभियोग पंजी) :–

यह पंजी संधारित है, परंतु विहित प्रपत्र में नहीं है। विगत पॉच वर्षो का अभियोग ऑकड़ा निम्नवत है

वित्तीय वर्ष	कुल अभियोग की संख्या	संधारित संख्या	न्यायालय में प्रेषित	लाभान्वित	संधारित
1	2	3	4	5	6
1997–98	242	168	12	62	35,810=00
1998–99	292	178	51	63	47,250=00
1999–2000	351	296	22	33	81,225=00
2000–2001	363	316	18	29	90,875=00
2001–2002	381	348	4	29	87,535=00
2002–2003	70	64	6	X	

(33) पंजी–89 :–

यह पंजी थौक विदेशी शराब, खुदरा विदेशी शराब, एवं खुदरा मसालेदार देशी शराब से संबंधित है। इस पंजी में प्रत्येक दुकान के विरूद्ध अलग–अलग निर्गत पारकों एवं पारकों के विरूद्ध निर्गत विदेशी शराब, मसालेदार देशी शराब की मात्रा अंकित की जाती है। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि यह पंजी अद्यतन संधारित की गयी है।

(34) पंजी – 103 :–

बताया गया कि उत्पाद पदाधिकारियों के द्वारा जमानत राशि से संबंधित पंजी का व्यवहार इस कार्यालय में नहीं किया जा रहा है, जो गम्भीर विषय है इसे अविलम्ब संधारित कराने का निर्देश अधीक्षक उत्पाद को दिया जाता है।

(35) पंजी – 103 (ए) :–

उत्पाद अनुज्ञाधारियों द्वारा नीलामी में भाग लेने से पूर्व जमानत राशि का उपयोग किया जाता है, जिसके लिए यह पंजी संधारित की गई है। वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए जमा जमानत राशि निम्नवत है :–

क्रमांक	दुकान का प्रकार	जमानत की कुल राशि
1	देशी शराब	8,71,742=00
2.	विदेशी शराब	8,89,853=00
3.	मसालेदार देशी शराब	70,540=00

(36) पंजी – 104 :–

इसे गणवेश पंजी के नाम से जाना जाता है। बताया गया कि मुख्यालय से जो गणवेश (वस्त्र) प्राप्त होता है, उसे सीधे पदाधिकारी को प्राप्त करा लिया जाता है। इस पंजी की मांग करने पर बताया गया कि यह पंजी इस कार्यालय संधारित नहीं है। इसका लेखा जोखा गणवेश पदाधिकारी स्वयं रखते हैं। यह परम्परा विल्कुल गलत है। मुख्यालय से प्राप्त प्राप्त गणवेश को सर्वप्रथम उत्पाद कार्यालय के स्टॉक पंजी में इन्द्राज होने के उपरांत ही गणवेश पदाधिकारियों को हस्तगत कराया जाय। अधीक्षक उत्पाद भविष्य में इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

(37) पंजी – 104 (ए) :–

बताया गया कि अनुपयोग वर्दी से संबंधित पंजी का व्यवहार नहीं किया जाता है। अधीक्षक उत्पाद को निर्देश दिया जाता है कि इस संबंध में मुख्यालय से मार्गदर्शन प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(38) चलान पंजी :–

इस पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह पंजी माह अप्रैल, 2002 तक ही लिखा गया है, परंतु निरीक्षक उत्पाद सदर द्वारा अभी तक इस पंजी की जांच नहीं की गई है, जो खेद का विषय है। अधीक्षक उत्पाद को निर्देश दिया जाता है कि निरीक्षक उत्पाद, सदर से इस संबंध में स्पष्टीकरण पूछ कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें। बताया गया कि यह तीन प्रतियों में बनाया जाता है। निर्देश दिया जाता है कि कोषागार से मिलान कर एक सप्ताह के अन्दर पंजी अद्वतन कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। साथ ही पंजी का संधारण सही ढ़ंग से नहीं करने के लिए प्रधान सहायक अपना स्पष्टीकरण दें कि क्यों नहीं उक्त लापरवाही के लिए उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाय।

(39) पंजी – 107 :–

यह पंजी स्टोर (भंडार) पंजी के रूप में जाना जाता है। इस पंजी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वर्ष 1991 के बाद से इस पंजी में एक भी प्रविष्ट नहीं की गई है, जो अपने आप में आश्चर्य का विषय है। क्या वर्ष 1991 के वाद इस कार्यालय में कोई यंत्र/सामान की खरीद या प्राप्ति नहीं हुई है। प्रधान सहायक इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दें कि उक्त पंजी अद्यतन क्यों नहीं संधारित है।

(40) पंजी – 132 :–

बताया गया कि यह पंजी अब व्यवहृत नहीं है क्योंकि विलम्ब से अनुज्ञाशुल्क जमा करने पर बिक्री अधिसूचना के शर्तो के अनुसार अनुज्ञाप्ति विखंडन अथवा अनियमितता के द्वारा संधान शुल्क की वसूली का प्रावधान है।

(41) पंजी – 149 (बी) :–

अधीक्षक उत्पाद ने बताया कि चूंकि मधुबनी जिले में डिसटीलरी कार्यरत नहीं है, फलतः इस पंजी का संधारण इस कार्यालय में नहीं किया जाता है।

(42) वेतन भरपाई पंजी :–

इस पंजी का अवलोकन किया। यह बहुत ही अस्त–व्यस्त अवस्था में संधारित की गई है। प्रधान सहायक ने बताया कि अंचल में पदस्थापित कर्मचारियों को वहां पदस्थापित निरीक्षक/अवर निरीक्षक द्वारा वेतन प्राप्त कराया जाता है, एवं उन्हीं के द्वारा वेतन भुगतान किया जाता है। वताया गया कि रेभन्यू टिकट पर हस्ताक्षर कर साट दिया जाता है, एवं उसकी एक प्रति इस कार्यालय को भेज दी जाती है। पंजी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रत्येक पन्ने पर किस माह का वेतन तैयार किया गया है, वह स्पष्ट नहीं किया गया है। सादा कागज पर जो राशि दी जाती है, उसे वेतन भरपाई पंजी में साट दिया जाता है, जो विल्कुल ही वित्त अधिनियम के प्रतिकूल है। इस पंजी की स्थिति भी विल्कुल ठीक नहीं है। इसे तुरंत अच्छे ढंग से वाईडिंग कराना सुनिश्चित करें। पंजी के अंत में पृष्ठो की संख्या को सत्यापित किया गया है, जो उचित परम्परा नहीं है। प्रायः सभी पंजियों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पंजी के अन्त में पृष्ठों की संख्या सत्यापित की गई है। अधीक्षक उत्पाद, मधुबनी को आदेश दिया जाता है कि कार्यालय में संधारित सभी प्रकार के पंजियों के पृष्टों का सत्यापन प्रथम पृष्ट से करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करें। इस संबंध में संबंधित प्रधान सहायक/सहायक भी अपना स्पष्टीकरण दें।

(43) आवंटन :–

इस कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2001–2002 में प्राप्त आवंटन एवं उसके विरूद्ध व्यय का व्यौरा निम्नवत है :–

वित्तीय वर्ष	मद	प्राप्त आवंटन	व्यय	वापसी
2001–2002	वेतन	29,95,000=00	29,91,468=00	3,532=00
	यात्रा भत्ता	17,000=00	16,815=00	185=00
	कार्यालय व्यय	10,000=00	7,680=00	2,320=00
	पुनरीक्षण	4,60,000=00	–––	4,60,000=00
	गृहरक्षा वाहिणी	1,71,200=00	1,17,820=00	53,380=00

(44) आदेश पंजी :–

यह एक महत्वपूर्ण पंजी है, जिसे इस कार्यालय में संधारित नहीं की जा रही है। इस पंजी में समाहर्त्ता या अन्य वरीय पदाधिकारियों एवं अधीक्षक उत्पाद द्वारा दिए गये आदेश की प्रवृष्टि की जाती है, जो अभिलेख के तौर पर कार्यालय में सुरक्षित रहती है। अधीक्षक उत्पाद को आदेश दिया जाता है कि इस पंजी का संधारण अविलम्ब करना सुनिश्चित करें।

(45) मुद्रांकित आवेदन पंजी :–

बताया गया कि यह पंजी अद्धतन संधारित है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2002–2003 में दिनांक 30.06.2002 तक कुल 213 मुद्रांकित आवेदन पत्र अंकित किए गये हैं, जिसमें कुल 106.00 रूपये राजस्व का लाभ सरकार को हुआ है।

(46) बाजार एवं मेला सूची :–

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि यह पंजी कार्यालय में संधारित नहीं की जा रही है, जो उचित नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण पंजी है, जिसमें प्रत्येक हाट बाजार की जानकारी रहती है तथा अभियोग कार्य में सफलता तथा नियंत्रण बना रहता है। इसे प्रत्येक अंचल से प्राप्त कर 15 दिनों के अंदर इन्द्रराज कराना सुनिश्चित करें।

(47) पुस्तक पंजी :-

यह पंजी वर्ष 1974–75 से संधारित की जा रही है। पंजी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इसके बाद कोई भी पुस्तक नहीं खरीदी गई है।

(48) भ्रमण दैनन्दिनी :-

निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि अवर निरीक्षक उत्पाद तथा निरीक्षक उत्पाद का भ्रमण दैनन्दिनी कार्यालय में संधारित नहीं की जा रही है, जो बहुत ही गम्भीर विषय है। उत्पाद अधिनियम के अनुसार अधीक्षक उत्पाद को वर्ष में 150 भ्रमण, निरीक्षक उत्पाद/सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद को 200 भ्रमण वर्ष में करना है। इसके अतिरिक्त फॉर्म–118 में किये गये कार्य का दैनन्दिनी कार्यालय में समर्पित किया जाना है, जो नहीं किया जा रहा है। अधीक्षक उत्पाद को आदेश दिया जाता है कि अपने अधीनस्थ अवर निरीक्षक से स्पष्टीकरण पूछ कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें ताकि उनके विरूद्ध कार्रवाई की जा सके। अधीक्षक उत्पाद, मधुबनी को यह भी आदेश दिया जाता है कि सभी निरीक्षक उत्पाद एवं सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद को वर्क डन के सम्बन्ध में निर्देश देने हेतु पत्र का प्रारूप अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें। निरीक्षण के दौरान सभी निरीक्षक उत्पाद/सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद को निर्देश दिया गया कि उत्पाद अधिनियम के तहत उन्हें फॉर्म–118 में अपने कार्यो के बारे में प्रतिवेदन प्रत्येक रविवार को अधीक्षक उत्पाद के समक्ष प्रस्तुत करना है, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही को काफी गम्भीरता से लिया जाएगा। सभी निरीक्षक उत्पाद/ सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम अधीक्षक उत्पाद को समर्पित करें, जिसे सील कर रखा जाएगा। निरीक्षक उत्पाद/सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद ने बताया कि उन्हें कोई सरकारी कार्यालय उपलब्ध नहीं है, जिसके फलस्वरूप कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में उन्हें निर्देश दिया गया कि वे अपने–अपने क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क स्थापित कर कार्यालय के संबंध में व्यवस्था सुनिश्चित करेगें। इस हेतु सभी अनुमंडल पदाधिकारी उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करेगें। सभी निरीक्षक उत्पाद/सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद को प्रत्येक माह कम से कम 20 दिन भ्रमण करना है एवं निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय में समर्पित करना है। इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।

(49) विभागीय कार्यवाही :-

बताया गया कि इस जिले में पदस्थापित किसी भी पदाधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही नहीं चल रही है।

(50) नीलाम–पत्र :–

अधीक्षक उत्पाद ने बताया कि मधुबनी जिला अन्तर्गत बहुत से बकायेदारों के विरूद्ध मो0 6,62,201=65 रूपये बकाया है। वकायेदारों का नाम/पता जिनके विरूद्ध नीलाम–पत्र वादों की संख्या सन्निहित राशि सहित स्थिति निम्नवत है :–

क्रमांक	बकायेदारों का नाम एवं पता	वित्तीय वर्ष	दुकान का नाम	बकाया राशि	रजिस्टर–10 का केस सं0	जमा की गई राशि/चलान सं0/तिथि	वर्तमान स्थिति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्री विजय कुमार, पे0–हरि ना0 साह सा0 वार्ड नं0–16 मधुवनी	95–96	विदेशी शराब मधुबनी वार्ड नं0–15	29,934=85 -	1/2000–01	––	प्रपत्र–7 में नोटिश निर्गत।	
2.	श्री तेज ना0 सिंह, पे0–स्व0 जीवनंद सिंह सा0 ब्रहमपुरा, थाना–अरेड़, जिला–मधुवनी	94–95	मसालेदार देशी शराब, कोतवाली चौक	18,314=85	2/2000–01	––	तदैव	
3.	श्री उपेन्द्र कुमार, पे0–भगवती गामी सा0–छतवन, थाना–केवटी, जिला–दरभंगा	94–95	देशी शराब धजवा	29,264=85	3/2000–01	––	तदैव	
4.	श्री सुरज साह, पे0–राजेन्द्र साह, सा0–नारियल बाजार, मधुबनी वार्ड नं0–8	95–96	देशी शराब, बशौली	25,964=85	4/2000–01	––	तदैव	
5.	श्री मुरली राय, पे0–श्री सुखदेव राय, सा0–मधुबनी, वार्ड नं0–1	94–95	विदेशी शराब मधुबनी वार्ड नं0–4	34,684=85	5/2000–01	मो0 34,685/–वसूल की जा चूकी है। चलान संख्या 101 दिनांक 19.02.02		

6.	श्री राजकुमार मंडल, पे0–जामुन मंडल, सा0–मधुबनी वार्ड नं0–1	94–95	विदेशी शराब, राजनगर	17,848=85	6/2000–01	––	प्रपत्र–7 में नोटिश निर्गत।	
7.	श्री शिवजी पासवान, पे0–स्व0 चलितर पासवान, युनियन टोला, जयनगर, जिला–मधुबनी	89–90	मसालेदार देशी शराब, जयनगर	1,039=85	8/2000–01	––	प्रपत्र–7 में नोटिश निर्गत।	
8.	श्री कपिलेश्वर प्र0 चौधरी, पे0–कमला प्रसाद चौधरी, सा0 पुरानी बाजार मनीगाछी, दरभंगा	88–89	देशी शराब झंझारपुर	40,939=85	7/2000–01	––	तदैव	
9.	श्री रामविलास चौधरी, पे0–गोरख चौधरी सा0 पुरानी बाजार, थाना–मनीगाछी, दरभंगा	89–90	मसालेदार देशी शराब राजनगर	4,189=85	9/2000–01	––	तदैव	
10.	श्री गुलाम रसूल, पे0–शेख हासीम, ग्राम–बेता परसा, ग्राम–हरलाखी, मधुबनी	88–89	विदेशी शराब, मधुबनी वार्ड नं0–14 मधुबनी	12,075=00	1/91–92	मो0 11,000/ दिनांक 29.3.94	तदैव	
11.	श्री विनोद कुमार झा, पे0–कामेश्वर झा, सा0 विहट नवटोल, जिला–मधुबनी	93–94 94–95 96–97 97–98	––	1,47,944=00	––	––	तदैव	
		कुल योग :		6,62,201=65		45,685=00		

उपर्युक्त ऑकड़ा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बड़े बकायेदारों में से मात्र श्री मुरली राय, पे0– सुखदेव राय सा0–मधुवनी वार्ड नं0–1 से मो0 34,685/–रूपये की वसूली चलान संख्या 101 दिनांक 19.02.2002 द्वारा की जा चुकी है। शेष बकायेदारों के वर्तमान स्थिति के बारे में उल्लेख किया गया है कि प्रपत्र–7 में नोटिश निर्गत किया गया है। अधीक्षक उत्पाद को आदेश दिया जाता है कि सभी शेष बकायेदारों से राशि वसूल करने की दिशा में कठोर कार्रवाई की जाए।

(51) शराब का खपत :–

विगत पॉच वर्षो की खपत की स्थिति निम्नवत है।(एल0 पी0 एल0) लंदनप्रूफ लीटर/वल्क लीटर

क्रमांक	वित्तीय वर्ष-	देशी शराब(एल0 पी0 एल0)	विदेशी शराब(एल0 पी0 एल0)	बीयर (वल्क ली0)	मसालेदार देशी शराब
1	2	3	4	5	6
1	1997–98	2,82,696.3	2,24,449.02	87,233.9	19,782.02
2	1998–99	3,06,989.1	2,64,085.43	1,24,495.85	5,114.0
3	1999–2000	3,34,248.6	2,72,395.42	74,738.06	21,470.36
4	2000–2001	3,99,961.3	3,35,539.73	97,466.0	27,376.27
5	2001–2002	4,05,483.8	2,38,396.0	1,66,352.0	26,729.04
6	2002–2003 (माह जून 2002 तक)	1,23,611.2	53,303.62	68,363.1	6,325.04

(52) पदाधिकारियों का कार्यक्षेत्र :–

अधीक्षक उत्पाद ने बताया कि यहां निम्नांकित पदाधिकारी हैं, जिनके नाम के सामने उनका कार्य क्षेत्र एवं जिला में योगदान की तिथि अंकित है :–

क्रमांक	पदाधिकारियों का नाम	पदनाम	कार्य क्षेत्र	योगदान की तिथि
1.	2	3	4	5
1.	श्री विश्वनाथ प्रसाद शर्मा	निरीक्षक उत्पाद	झंझारपुर सह सदर क्षेत्र	15.07.2000
2	श्री सुमन कुमार सिंह	अवर निरीक्षक उत्पाद	जयनगर अंचल	15.12.1998

3.	श्री अनिल कुमार सिन्हा	अवर निरीक्षक उत्पाद	झंझारपुर अंचल सह प्रहार बल, मधुबनी	03.07.2000
4.	श्री जगत लाल	अवर निरीक्षक उत्पाद	सदर अंचल	24.07.2000
5.	मो0 मुस्ताक खां	अवर निरीक्षक उत्पाद	बेनीपट्टी अंचल	02.07.1999
6.	श्री अजय शंकर सहाय	अवर निरीक्षक उत्पाद	विविध	13.09.2000
7.	श्री राम सुभग गिरि	अवर निरीक्षक उत्पाद	सदर अंचल	02.04.2002
8.	श्री राजकिशोर प्रसाद सिंह	अवर निरीक्षक उत्पाद	चलिष्णु दल, मधुबनी	13.10.2000

(53) माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित मामला :–

अधीक्षक उत्पाद ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित मामले के लिए एक नई पंजी का संधारण हाल ही में किया गया है। पंजी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वर्ष 1993 से 1997 तक कुल 31 मामले विभिन्न न्यायालय में लम्बित थी, जिसके विरूद्ध कुल 11 वादो का निष्पादन किया जा चुका है। एवं शेष 20 मामलों में कंडिकावार मंतब्य विभिन्न न्यायालय में भेजा जा चुका है।

(54) सरकारी वाहन :–

अधीक्षक उत्पाद ने बताया कि इस कार्यालय के लिए एक जीप बी0 आर0 जी0–5494 उपलब्ध कराई गई थी, जो वर्ष 1996 से ही खराब पड़ी हुई है। उक्त विभागीय वाहन की मरम्मति हेतु मोटर यान निरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक–01.08.96 प्राप्त कर अपेक्षित रकम के आवंटन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–312 दिनांक–14.08.97 को मुख्यालय लिखा गया है, परंतु आवंटन उपलब्ध नहीं होने के कारण समाहर्त्ता, मधुबनी के पत्रांक 361 दिनांक 06.09.97 द्वारा एक नई गाड़ी की मांग की गई थी, जिसके लिए पत्रांक–948 दिनांक 31.12.2000 द्वारा स्मारित भी किया गया है, परंतु नई गाड़ी का आवटंन अभी तक नहीं हो पाया है। इस गाड़ी के चालक श्री शिवनाथ पोद्दार भी वर्ष 1996 से गाड़ी खराब रहने के कारण बिना कार्य के बैठे हुए हैं। अधीक्षक उत्पाद ने बताया कि श्री पोद्दार से पदचर का कार्य लिया जा रहा है, जो उचित नहीं है। अधीक्षक उत्पाद को आदेश दिया जाता है कि नई गाड़ी के आवंटन हेतु अधोहस्ताक्षरी की ओर से अर्द्धसरकारी पत्र के माध्यम से आयुक्त एवं सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध पत्र का प्रारूप अविलम्ब प्रस्तुत करें।

(55) निष्कर्ष :–

इस कार्यालय का मूल्यांकन संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता। कार्यालय में संधारित सभी पंजियों का रख–रखाव अत्यंत ही अव्यवस्थित है। यद्यपि राजस्व संग्रहण की स्थिति सतोषप्रद कही जा सकती है, परंतु कार्यालय की प्रारंभिक सूचना एवं कार्यप्रणाली की जानकारी नहीं रहने के कारण और भी कठिनाई का सामना करना पर रहा है। बकाये के रूप में बहुत बड़ी राशि वसूली हेतु लंबित पड़ी हुई है। जिसे अभियान चलाकर पूर्ण किया जाना है। कार्यालय कर्मियों को अत्यंत मेहनत करने की आवश्यकता है। यदि इस निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देश का अक्षरशः अनुपालन किया जाय तो निश्चित रूप से इस कार्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार होगा। अधीक्षक उत्पाद, मधुबनी एवं कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों को आदेश दिया जाता है कि इस निरीक्षण के दौरान अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का अनुपालन समय–सीमा के अंदर सुनिश्चित करें।

(डा० बी० राजेन्दर)
स मा ह र्त्ता,
मधुबनी

ज्ञाप संख्या 239 मु० / सामान्य.......................... दिनांक 24/08/2002 ई०।

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त एवं सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अधीक्षक उत्पाद, मधुबनी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

BRajender 12.8.2002
स मा ह र्त्ता
मधुबनी